BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION

IN THE MATTER OF:

1. **Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal,**
2. **Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
3. **Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
4. **Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal**……………………...…………….Applicant

Applicants are the residents of Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand 249193

During winter, the Applicants reside approximately 100 km away from their village and the incident site, in Gangori, Ward No. 01, Nagarpalika Bharahat, near Uttarkashi 249193.

VERSUS

1. **Executive Engineer, PWD Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand**
   - **E-mail:** eepdbha-pwd-ua@nic.in
   - **Phone No.:** 01374-244321
   - **Address:** Executive Engineer office, PWD, Bhatwari, Uttarkashi - 249135
2. **District Magistrate/District Administration, Uttarkashi**
   - **E-mail:** dm-utt-ua@nic.in
   - **Phone No.:** 01374-222280, 222101
   - **Address:** District Magistrate Office, Collectorate, Uttarkashi, PIN- 249193
3. **Government of Uttarakhand, through Chief Secretary of Uttarakhand**
   - **E-mail:** cs-uttaranchal@nic.in
   - **Phone No.:** 01352712100
   - **Address:** Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun- 248001…….…………….Respondents

---

PETITION UNDER SECTION 14, 15, AND 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010 SEEKING REMEDIAL ACTION AGAINST ILLEGAL DESTRUCTION OF FRUIT-BEARING TREES AND ENVIRONMENTAL DAMAGE IN ECO-SENSITIVE ZONE WITHOUT MANDATORY APPROVALS

INDEX

S.No.	Title of Document	Page No.
1.	Synopsis	03
2.	List of Dates	04
3.	Memorandum of Application	05
4.	**Original Application**	06 – 12
5.	**Affidavit**	13 – 15
6.	**Annexure – 01 :** The Judgememt of Hon'able Civil Court (Senior Divison) Uttarkashi (30/10/2021)	16 – 16
7.	**Annexure – 02 :** The Decree of Hon'able Civil Court (Senior Divison) Uttarkashi (30/10/2021)	27 - 31

8.	**Annexure – 03** : The Judgememt of Hon'able Assistant Collector (First Class) Bhatwari(14/07/2020)	32 – 39
9.	**Annexure – 04 :**Land Record / Khata Khatooni No. 00105, Mukhwa, Bhatwari	40
10.	**Annexure – 05 :** Report of Revenue Department	41 – 44
11.	**Annexure – 06 :** Copy of FIR filled in SP Office Uttarkashi (27/01/2025)	45 – 58
12.	**Annexure – 07** : Reminder letter for SP Uttarkashi (03/02/2025)	59 - 60
13.	**Annexure – 08** : RTI Application & its Status which were filled to DM Uttarkashi	61 - 63
14.	Pictures of Orchard and Land before Destruction	64 - 69
15.	Pictures of Orchard and Land After Destruction	70 - 78
16.	**Application to the Registrar**	79

SYNOPSIS

This case pertains to the unlawful destruction of **over 40 fruit-bearing apple trees** and **some protected Himalayan Cedar trees** in **Mukhwa Village, Uttarkashi**, **which falls within the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone (ESZ)** and **near Gangotri National Park.** The Respondents, primarily **PWD Bhatwari** and **the District Magistrate/District Administration**, carried out this destruction without obtaining the necessary environmental clearances, in violation of multiple environmental laws.

The Applicants were **legally recognized as rightful owners of the land** / **Apple orchard** through an order issued by **the court of Assistant Collector (First Class), Bhatwari, Uttarkashi, on 14/07/2020**. **This was further affirmed by the Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, on 30/10/2021, which granted a Permanent Injunction (PI) in favor of the Applicants**, preventing any unauthorized entry or activity on the land / Apple orchard.

As a result of this unauthorized destruction, the Applicants have suffered **severe ecological, economic, and psychological harm.** The removal of these trees has **disrupted the fragile Himalayan ecosystem and severely impacted their livelihood**.

This petition seeks urgent intervention by **this Hon'ble Tribunal**, including immediate restoration of the damaged land/Apple orchard, adequate compensation for economic losses, legal accountability for those responsible, and stronger environmental safeguards to prevent such violations in the future within this eco-sensitive zone.

LIST OF DATES

Date	Event Description
14/07/2020	Bhoomidhar rights granted by Assistant Collector, Bhatwari.
30/10/2021	Permanent Injunction granted by Civil Court (Senior Division).
25/01/2025	Illegal destruction of orchard captured on video.
27/01/2025	FIR filed with SP Office, Uttarkashi.
30/01/2025	RTI filled to DM Uttarkashi
03/02/2025	Reminder Letter sent due to inaction on FIR.
08/02/2025	Applicants visit site, confirm larger-scale destruction.
10/02/2025	Case filed before NGT.

MEMO OF APPEARANCE

We, the undersigned Applicants in the above-mentioned case, do hereby state that we are appearing **Party-in-Person** in this matter **before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.** We have not engaged any advocate to represent us in this case.

We request that all communications, notices, and documents related to this case be sent to our address and contact details as provided below:

Applicant Details:

Name:

1. **Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal,**
2. **Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal**
3. **Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal**
4. **Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal**

Address: **Ward No. 01, Nagarpalika Parishad, Gangori, Bharahat, Uttarkashi, Uttarakhand 249193**
Phone: **8171748565, 7668241905**
Email: **semwalabhinavraman2985@gmail.com**

We affirm that the statements made herein are true and correct to the best of our knowledge and belief.

Place: **Uttarkashi, Uttarakhand**

Signatures:

Basanti Devi	**Uma Raman Semwal**	**Rama Raman Semwal**	**Alpna Devi**

(Applicants - Party-in-Person)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION

IN THE MATTER OF:

1. **Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal,**
2. **Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
3. **Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
4. **Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal**……………………...…………….Applicant

Applicants are the residents of Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand 249193

During winter, the Applicants reside approximately 100 km away from their village and the incident site, in Gangori, Ward No. 01, Nagarpalika Bharahat, near Uttarkashi 249193.

VERSUS

1. **Executive Engineer, PWD Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand**
   - **E-mail:** eepdbha-pwd-ua@nic.in
   - **Phone No.:** 01374-244321
   - **Address:** Executive Engineer office, PWD, Bhatwari, Uttarkashi - 249135
2. **District Magistrate/District Administration, Uttarkashi**
   - **E-mail:** dm-utt-ua@nic.in
   - **Phone No.:** 01374-222280, 222101
   - **Address:** District Magistrate Office, Collectorate, Uttarkashi, PIN- 249193
3. **Government of Uttarakhand, through Chief Secretary of Uttarakhand**
   - **E-mail:** cs-uttaranchal@nic.in
   - **Phone No.:** 01352712100
   - **Address:** Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun- 248001…….…………….Respondents

---

PETITION UNDER SECTION 14, 15, AND 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010 SEEKING REMEDIAL ACTION AGAINST ILLEGAL DESTRUCTION OF FRUIT-BEARING TREES AND ENVIRONMENTAL DAMAGE IN ECO-SENSITIVE ZONE WITHOUT MANDATORY APPROVALS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Applicants are lawful owners and cultivators of agricultural land name as **"Thli Dartya"** bearing Khet/Khasra No. 1435-1436 and 1437-1438 located in Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand. The said land falls within the **Bhagirathi Eco-Sensitive Zone (ESZ)**, as notified by the **Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), as well as also located near The Gangotri National Park,** which imposes strict environmental regulations on any construction or land-use change in the area. **The said land contained a fully developed apple orchard with more than 50 fruit-bearing apple trees along with other vegetation, forming a vital source of livelihood for the Applicant.**

2. That the Applicants had been engaged in a legal dispute over this land for the past 10 years, which was conclusively decided in their favour by the Hon'ble Civil Court (Senior Division) in 2021.

Prior to this, on 14/07/2020, the Hon'ble Assistant Collector (First Class), Bhatwari, had declared the Applicants as Bhoomidhar based on their possession of a 24-25 year old fruit-bearing apple orchard. Also, the judgment of the Hon'ble Civil Court (Senior Division) in 2021, categorically granted the Applicants **Permanent Injunction (PI)**, thereby preventing any third party, including government authorities like PWD, District Administration, or any private individual, from entering the land or carrying out any construction without due legal process.

3. That despite the court's explicit orders, on **25th January 2025**, the Applicants received a video on a local WhatsApp group, **showing that their orchard was being illegally destroyed by a JCB. The destruction was carried out by unknown government officials and personnel, without any prior notice, approval, or legal order. Several fully grown apple trees were uprooted, leading to severe environmental and economic loss.**

4. That upon learning about this illegal act, the Applicants immediately filed an **FIR with the SP Office, Uttarkashi on 27th January 2025**. However, the authorities treated it merely as a petition or request instead of registering it as a formal FIR. The investigation was delayed and initiated only after a reminder. **A reminder letter was sent on 3rd February 2025**, but no action has been taken to stop further damage. Even after conducting an inquiry, the police took no concrete action beyond recording the Applicants' statements and accompanying them to the site. As of today, no further action has been taken by the authorities.

5. That the Applicants reside **approximately 100 km away from their village and the incident site during winter**, in Gangori, Ward No. 01, Nagarpalika Bharahat, near Uttarkashi. **Due to extreme mental distress by this incident, they were initially unable to visit the site.** On **8th February 2025**, after gathering courage, they visited their village to assess the damage. Police officials from Harsil Police Station accompanied them, but no significant action was taken despite their presence beyond recording the Applicants' statements. The Applicants also did not receive any response or information from the District Administration despite multiple follow-ups. **Due to this lack of cooperation from the authorities, there was an unavoidable delay in filing this case**. Even now, the Applicants have not received any substantial support or updates from the administration or police.

6. That the Applicants also filed an RTI application to the District Magistrate (DM), Uttarkashi on **30th January 2025**, seeking clarification regarding which department or authority authorized this act, **as no construction work can be undertaken without the DM's explicit approval**. **In response, a reply was received via post on 3rd January 2024**; however, **the RTI query was not answered**. Instead, the DM forwarded the application to another department for providing the necessary response. However, till date, no reply has been received.

7. That on visiting the incident site on **8th February 2025**, the Applicants realized that the extent of damage was far worse than initially estimated. More than **40 fruit-bearing apple trees and some several protected Himalayan Cedar (Deodar) trees** had been either cut or severely damaged. Many of the felled trees were dumped, while others were left on top of living trees, causing additional harm to the living trees. Even a **Chuli (wild apricot) tree** was brutally cut and destroyed using a JCB, showing reckless disregard for the environment. The reckless destruction of these trees has led to significant environmental damage and loss of biodiversity. But during this visit, it became evident that the destruction was carried out by **PWD Bhatwari under the orders of the**

District Magistrate (DM) and District Administration, as PWD officials and staff were found present at the incident site.

8. That it has come to the Applicants' knowledge through local sources or by villagers that this act was carried out **for the construction of a parking area in view of the upcoming visit of the Hon'ble Prime Minister of India**. This indicates that the private property was destroyed and environmental damage was caused arbitrarily, without following the due legal process.

9. That the illegal destruction has resulted in the Applicants being deprived of their **fundamental right to livelihood**, because the orchard was a one of the major source of income. Moreover, the Applicants have faced extreme **mental and physical harassment** while fighting to protect their land for over a decade.

10. That the **destruction of fully grown trees, without obtaining environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC) or the NGT, is a direct violation of environmental laws**. The area falls within near **Gangotri National Park** also within **an Eco-Sensitive Zone (ESZ) and Inner Permit Zone**, where any such activity requires strict approvals, including an **Environmental Impact Assessment (EIA)**.

11. That it has been observed that **PWD has already caused substantial environmental damage in the name of development**. The construction of the **Harshil-Mukhwa-Jangla road**, which currently stands halted in Mukhwa, has already led to the destruction of numerous **apple trees, reserved deodar trees/Himalayan cedar trees**, causing a severe ecological imbalance. The Applicants strongly object to any further extension of this road beyond Mukhwa into the Jangla region, as it will lead to **irreversible environmental damage**.

12. That the Respondents have violated multiple legal provisions, including but not limited to:

- **The Forest Conservation Act, 1980**
- **The Environment Protection Act, 1986**
- **The National Green Tribunal Act, 2010**
- **Violation of Fundamental Rights:** The destruction of the Applicants' orchard and livelihood is a direct violation of their fundamental rights under the **Constitution of India**, including:
    - **Article 19(1)(g): Right to Practice Any Profession or Carry on Any Occupation –** The destruction of their primary source of income has deprived them of their right to livelihood.
    - **Article 21: Right to Life and Personal Liberty** – The unlawful destruction of property and mental harassment inflicted upon the Applicants violate their right to live with dignity.
- **The Indian Penal Code (IPC) Sections 166, 425, 447, 441, 120B (for criminal conspiracy, mischief, criminal trespass, and disobedience of law by public servants)**
- **The Disaster Management Act, 2005 (for unauthorized construction in an eco-sensitive zone)**

- **The Hon'ble Supreme Court's Judgments on Eco-Sensitive Zones and Conservation of Forests**

13. That the destruction has caused **irreversible environmental damage**, violated court orders, and inflicted **severe economic and emotional hardship** upon the Applicants, particularly **widow Alpna Devi and other family members**, who have fought for 10 years to protect their lawful property.

GROUNDS FOR THE PETITION:

1. **Violation of Environmental Laws**: The destruction of fruit-bearing trees and protected Himalayan Cedar (Deodar) trees within the **Bhagirathi Eco-Sensitive Zone (ESZ) and near Gangotri National Park**, without obtaining necessary environmental approvals, **directly violates the Forest Conservation Act, 1980, and the Environment Protection Act, 1986.**

2. **Contempt of Court Orders**: The Hon'ble Civil Court (Senior Division) had granted a Permanent Injunction (PI) in 2021, prohibiting any third party, including government authorities, from entering or making any changes to the Applicants' land. **The unauthorized destruction of the orchard is a direct violation of this judicial order.**

3. **Failure of Due Process**: The Applicants were not given any prior notice or an opportunity to be heard before their property was destroyed. **This is a clear violation of natural justice and fundamental rights under Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and Livelihood) of the Constitution of India.**

4. **Negligence and Abuse of Power by Authorities**: The involvement of PWD Bhatwari under the instructions of the District Magistrate (DM), Uttarkashi, without following proper legal protocols, highlights gross administrative negligence and misuse of power.

5. **Irreparable Environmental and Economic Damage**: The destruction of over 40 fruit-bearing apple trees and protected forest trees has caused irreversible damage to the local ecosystem and Applicants' livelihood, requiring urgent restoration and compensation.

6. **Inaction by Law Enforcement Agencies**: Despite filing an FIR on 27th January 2025 and sending a reminder on 3rd February 2025, no strict action has been taken against the responsible officials. The police's failure to act promptly has encouraged further environmental violations.

7. **Threat to Future Conservation Efforts**: If strict action is not taken, this will set a dangerous precedent, allowing unchecked destruction of ecologically sensitive zones for unauthorized construction activities in the future.

LIMITATION

This petition has been filed within a reasonable timeframe. Any delay should be condoned due to factors beyond the Applicants' control. Despite filing an **FIR on 27/01/2025** and an **RTI on 30/01/2025**, no response was received, delaying action. The Applicants, residing **100 km away**, learned about the destruction via **WhatsApp on 25/01/2025** and could visit the site only on **08/02/2025** due to mental distress. The violation in the **Eco-Sensitive Zone** is ongoing, making this petition both **timely and essential.** The Applicants acted diligently, and any minor delay should be condoned **in the interest of justice.**

INTERIM PRAYER

The Applicants seek urgent interim relief to prevent further damage. **The Respondents should be directed to immediately halt all destruction, construction, or alteration on the Applicants' land / orchard and maintain the status quo to prevent unauthorized encroachment**. They must submit all official records related to the act and provide a restoration plan for the destroyed orchard and trees. An independent environmental impact assessment should be conducted to evaluate the damage. As the Applicants are currently unable to visit the site, **it is also necessary to restrict any unauthorized person from entering the victim land and orchard until the final adjudication of the case**.

PRAYERS:

In light of the above facts and circumstances, the Applicants most respectfully pray before this Hon'ble Tribunal for the following reliefs:

A. Direct immediate prohibition of any further destruction or construction on the **independent land** and **apple orchards** of the applicants, as soon as possible.

B. Direct the Respondents to **restore the damaged land** and replant an equivalent number of fruit-bearing trees at their cost under expert supervision.

C. Order an **independent judicial and environmental investigation** to determine the officials and departments responsible for this unlawful act.

D. Impose strict **penal and compensatory measures**, including legal action against the responsible authorities under IPC and environmental laws.

E. Direct the Respondents to **compensate the Applicants adequately**, including:

I. Compensation of ₹5 crores for **economic loss and destruction of the orchard, because:**

- **Complete Loss of Livelihood:** The Applicants' primary source of income was their **fully developed apple orchard with over 50 fruit-bearing trees,** which was unlawfully destroyed.
- **Loss of Land Productivity:** The uprooting of trees and bulldozing of land **severely impacted soil fertility and water retention,** making future farming extremely difficult.
- **Environmental Damage:** The growth and restoration of such **fruit-bearing and Himalayan Cedar trees take decades,** leading to long-term ecological imbalance.

II. Compensation of ₹2 crores for **mental agony and harassment faced by the Applicants, because:**

- **10 Years of Legal Struggle:** The Applicants fought a **decade-long legal battle** to protect their land, yet government authorities **ignored court orders and unlawfully destroyed their property.**
- **Mental Trauma and Distress:** This incident has caused **severe emotional distress, especially for elderly family members, women, and dependents.** Widow **Alpna Devi and elderly Basanti Devi** are among those gravely affected due to **sudden loss of security and livelihood.**
- **Violation of Court Orders:** The **Permanent Injunction (PI) granted on 30/10/2021 by the Civil Court (Senior Division)** explicitly prohibited any interference. However, authorities acted in contempt of this judicial order.
- **Administrative Negligence:** Despite filing an **FIR on 27/01/2025**, the police **failed to take timely action,** forcing the Applicants to run from one office to another, leading to **financial and emotional distress.**

III. Permanent livelihood support for widow **Alpna Devi and affected family members.**

PRAYER IN THE ENVIRONMENTAL INTREST:

a) Ensure that the environmental impact of the Harshil-Mukhwa-Jangla road project beyond Mukhwa is properly assessed, and if any further construction takes place, the respondents and others must ensure that all necessary environmental approvals and safety measures are followed, and **if deemed necessary or required, the project should be permanently halted.**

b) Additionally, direct the Respondents to provide a report on the number of trees cut and the extent of environmental damage caused by this project.

c) Pass an order mandating the **creation of strict environmental laws for this eco-sensitive region** to prevent future unauthorized cutting/destruction of trees/forests and orchards in the name of development.

d) Pass any other order as this Hon'ble Tribunal deems just and necessary in the interest of justice and environmental protection.

Hon'ble Justice,

Our family's livelihood was deeply rooted in this land and its flourishing apple orchards, which were unlawfully destroyed. This act has not only shattered our lives but has also caused irreversible environmental damage. **If justice is delayed, it will set a dangerous precedent, allowing unchecked administrative misuse**.

The reckless actions of PWD Bhatwari and the District Administration of Uttarkashi have devastated our joint farming family. If such actions go unpunished, more farming families, apple orchards, and protected forests will face destruction. **We urge this Hon'ble Tribunal to intervene and put a permanent stop to such illegal activities.**

We humbly request the Tribunal to take immediate cognizance and ensure justice is served without further delay.

PLACE: Uttarkashi, Uttarakhand

DATE: 10/02/2025

APPLICANTS:

Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal,

Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,

Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,

Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal.

Address: Ward No. 01, Nagarpalika Parishad, Gangori, Bharahat, Uttarkashi, Uttarakhand (BHARAT)

MOB: 8171748565, 7668241905.

Details of Respondent's:

1. Andeep Rana, Executive Engineer, PWD Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand
    - **E-mail:** eepdbha-pwd-ua@nic.in
    - **Phone No.:** 01374-244321
    - **Address:** Executive Engineer office, PWD, Bhatwari, Uttarkashi - 249135
2. Meharban Singh Bisht, District Magistrate, Uttarkashi
    - **E-mail:** dm-utt-ua@nic.in
    - **Phone No.:** 01374-222280, 222101
    - **Address:** District Magistrate Office, Collectorate, Uttarkashi, PIN- 249193
3. Government of Uttarakhand, through Chief Secretary of Uttarakhand, Smt. Radha Raturi
    - **E-mail:** cs-uttaranchal@nic.in
    - **Phone No.:** 01352712100
    - **Address:** Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun-24800.

IN-UK74283018274381X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK74283018274381X**
Certificate Issued Date	:	13-Feb-2025 04:29 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1314404/ UTTARKASHI/ UK-UT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK131440455776707182517X
Purchased by	:	BASANTI DEVI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	BASANTI DEVI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	BASANTI DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY — GOVT. OF INDIA — NOTARIAL

ASHISH RANA
E-Stamp Vendor
Collectrate Uttarkashi

Please write or type below this line

शपथ पत्र Attached

बसन्ती

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

g

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION

IN THE MATTER OF:

1. **Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal,**
2. **Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
3. **Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal,**
4. **Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal**………………………..……………..Applicant

Applicants are the residents of Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand

During winter, the Applicants reside approximately 100 km away from their village and the incident site in Gangori, Ward No. 01, Nagarpalika Bharahat, near Uttarkashi.

VERSUS

1. **Public Works Department (PWD), Bhatwari, Uttarkashi**
2. **District Magistrate (DM)/District Administration, Uttarkashi**
3. **Government of Uttarakhand**
4. **Unknown Officials and Departments Involved**………………..…………………Respondents

GOVT. OF INDIA NOTARY

14/02/2025

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE APPLICANTS

I, **Basanti Devi, W/o Late Bhola Dutt Semwal**, aged about **70 years**, resident of **Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand**, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the **main petitioner** in the present case, fully aware of the facts mentioned in **Paragraphs 1 to 13** of the petition and competent to swear this affidavit.
2. That **Applicant No. 2 and 3 are my sons**, and **Applicant No. 4 is my daughter-in-law**, (wife of my younger son **Late. Benkat Raman Semwal**).
3. That this affidavit is being filed in support of the petition submitted before the **Hon'ble National Green Tribunal (NGT) on 10/02/2025**, seeking legal intervention against the **illegal destruction of my agricultural land and apple orchards in an eco-sensitive zone**.
4. That all the facts and statements mentioned in the petition are true and correct to the best of my knowledge and belief.
5. That **I have not concealed any material fact** and that I am **filing this affidavit as a supporting document** to the present petition.
6. That in case of any **further developments**, I shall **duly inform the Hon'ble Tribunal**.

बसन्ती

Page 1 of 2

VERIFICATION

I, **Basanti Devi**, the **Deponent above named**, do hereby verify that the contents of this affidavit are **true and correct** to the best of my knowledge and belief. No part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Uttarkashi, Uttarakhand, on the Date.: 14/02/2025

DEPONENT:

बसन्ती

Basanti Devi

Ram Chandra Joshi
Advocate Notary
Reg. No. ...22
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)
14/02/2025

NOTARY

This affidavit is sworn before me by
Sh... बसन्ती देवी
W/... Identified Shri ...
at Uttarakhand dated ....AM/PM
11 Am

14/02/2025

Page 2 of 02

Annexure – 01 : The Judgement of Hon'able Civil Court (Senior Division),Uttarkashi (30/10/2021)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) उत्तरकाशी
दीवानी वाद संख्या- 65/2017
बसन्ती देवी आदि Vs. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आदि

नकल. निर्णय संलग्न है।

<u>केवल नकल [illegible] के लिये</u>

[illegible]	[illegible]	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
9/11/2021 नौ नवम्बर दो हजार इक्कीस	9/11/2021 नौ नवम्बर दो हजार इक्कीस	9/11/2021 नौ नवम्बर दो हजार इक्कीस	[signature] 9.11.2021 No-1

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

5 CP.
रु. 10=00.
9/11/21

(K. Chand)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), उत्तरकाशी।

उपस्थित– मदन राम (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

दिनांक 30.10.2021

दीवानी वाद संख्या 65 सन् 2017

बसन्ती देवी आदि बनाम अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०विभाग आदि।

सी०एन०आर०नं०–UKUT0100'512017

वाद का विवरण

वादी	1. बसन्ती देवी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व० भोला दत्त 2. उमा रमन, उम्र 41 वर्ष, पुत्र स्व० भोला दत्त, 3. रमा रमन, उम्र, 36 वर्ष, पुत्र स्व० भोला दत्त, 4. बैंकट रमन, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व० भोला दत्त, निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी।
वदीगण के अधिवक्ता	श्री जी०एस० चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।
प्रतिवादीगण	1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 2. मुकेश सेमवाल, उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्व० जयन्ती प्रसाद, 3. सुधांशु सेमवाल, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व० जयन्ती प्रसाद, 4. श्रीमती राजेश्वरी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व० जयन्ती प्रसाद निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर, उत्तरकाशी।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	प्रतवादी–1 व 5 की ओर से श्री ए०सी० रमोला, जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)। प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस०सी० रमोला, एडवोकेट।

वाद प्रस्तुत करने की तिथि	14.11.2017
जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	प्रतिवादी–1 व 5 ने दिनांक 01.12.2017 तथा प्रतिवादी 2 लगायत 4 ने दिनांक 20.04.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया।
विवाद्यक विरचन की तिथि	16.07.2018
साक्ष्य नियत किये जाने की तिथि	07.08.2018
साक्ष्य समाप्ति की तिथि	07.10.2021
पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित किये जाने की तिथि	23.10.2021
निर्णय की तिथि	30.10.2021

प्रतिवादीगण का विवरण

पद श्रेणी	प्रतिवादीगण का नाम	समन तामीली की तिथि	न्यायालय में उपस्थिति की तिथि	जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	अन्य विवरण
1	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—
2	मुकेश सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
3	सुधांशु सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
4	श्रीमती राजेश्वरी	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
5	उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा जिला कलक्टर, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—

अ— वादी के साक्षियों का विवरण :—

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी0डब्लू–1	उमारमन सेमवाल	वादी – 2
पी0डब्लू0–2	माया प्रसाद सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–3	महेशानन्द रतूड़ी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–4	प्रेमनारायण	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–5	चकधर सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–6	श्रीमती शकुन्तला देवी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–7	धर्मानन्द सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–8	प्रेमचन्द	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–9	कल्याण सिंह पोखरियाल	राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी।

ब— प्रतिवादी के साक्षियों का विवरण :—

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
डी0डब्लू–1	सुधांशु सेमवाल	प्रतिवादी–3

:: **<u>निर्णय</u>** :

वादीगण की ओर से–श्री जी0एस0 चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।
प्रतिवादी–1 व 5 की ओर से–श्री ए0सी0 रमोला, डी0जी0सी0(सिविल)।
प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस0सी0 रमोला, एडवोकेट।

दिनांक 30.10.2021— प्रस्तुत वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने हेतु योजित किया है।

2. संक्षेप में वाद के कथन यह हैं कि वादीगण मौजा मुखबा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 तक के खाता खतौनी

00049 में इन्द्राज खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.034 हे0 एवं 1436 रक्बा 0.015 हे0 भूमि पर विगत दो तीन पीढियों से स्वतंत्र काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिनमें से खसरा नम्बर 1435 म0 रक्बा 0.018 हे0 व खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 हे0 भूमि वादीगण के कब्जा व बागभूमि के तथ्य को छुपाकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के मुखिया ने प्रतिवादी 1 के नाम विधि विरूद्ध बयनामा किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान 1435 व 1436 पर वादीगण के पूर्वज विद्यादत्त द्वारा भवन निर्माण हेतु थली बनायी थी, जिस कारण उक्त भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। इस थली के पूर्वी भाग को सन् 1993 में प्रतिवादी 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने अपना खेत बताया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.11.193 को पूर्णानन्द सेमवाल और मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष महेशानन्द रतूड़ी के हस्तलेख में लिखत बनी थी। जिसके अनुसार वादीगण के मुखिया स्व0 भोला दत्त द्वारा मु0. तीन हजार दो सौ रूपये की नकद धनराशि महेशानन्द को भुगतान कर उक्त थली अपने पास हस्तान्तरित करवा ली थी। वादीगण के मुखिया द्वारा खसरा नम्बर 1435 व 1436 पर चकबन्दी कर फलदार सेब का बगीचा बनाया गया जो कि आज आबाद है। उक्त खसरा नम्बरान पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु वादीगण के मुखिया ने असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में वाद संख्या 46 सन् 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती पसाद आदि विचाराधीन है। उक्त वाद दायर करने के बाद प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि जयन्ती प्रसाद की मृत्यु वाद संस्थित होने के एक वर्ष के उपरान्त हुयी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा असत्य व मनगढंत तथ्यों पर लगभग 20 माह बाद राजस्व न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त को वर्ष 2015 में पता चला कि उक्त खसरा नम्बर सड़क मार्ग के समरेखण में आने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त द्वारा दिनांक 23.02.2015 को लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन लोक निर्माण विभाग ने वादीगण के मुखिया की आपत्ति को नजर अन्दाज किया तथा बिना मौके का भौतिक सत्यापन किये दिनांक 10.03.2015 को फर्जी बयनामा किया गया जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया स्व0 जयन्ती प्रसाद के स्वयं के हस्ताक्षरों से निष्पादित नहीं किया गया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलदत्त ने इस सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा एवं राजस्व उपनिरीक्षक, भटवाड़ी द्वारा मौका मुआयना कर स्थलीय निरीक्षण किया और जॉच रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान पर पुस्तैनी रूप से काबिज होने व फलदार वृक्ष होने की पुष्टि की गयी। इसके उपरान्त प्रतिवादी–1 ने स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम से हडपे गये प्रतिकर की वसूली हेतु प्रतिवादी 2 ता 4 को पत्र लिखे व प्रतिकर वापस न करने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने उक्त बयनामा के विरूद्ध दाखिला खारिज वाद संख्या 35 सन् 2015 में आपत्ति प्रस्तुत की जिसके उपरान्त तहसीलदार भटवाडी द्वारा उक्त दाखिला खारिज वाद 35 सन् 2015 निरस्त किया जा चुका है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को भी है तथा उनके द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये बयनामा जो उपनिबन्धक कार्यालय के पुस्तक संख्या 01, खण्ड 892, पृष्ठ 347 से 348 के कम संख्या 235/15 में पंजीकृत है, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने व खसरा संख्या 1435 व 1436 में स्थित वादीगण के फलदार बगीचे व भूमि पर हस्तक्षेप करने से हमेशा–हमेशा के लिये प्रतिवादीगण को निषिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रतिवादीगण 1 व 5 द्वारा जवाबदावा 34क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का खण्डन किया है और यह कहा है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 1435 रक्बा 0.034 हे0 व खसरा संख्या 1436 रक्बा 0.015 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के नाम इन्द्राज थी जिस कारण प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में बयनामा किया गया है। यह कहा है कि दावी सम्पत्ति पर फलदार वृक्ष होने

की जानकारी नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर वादीगण द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नही करने दिया गया जिसके फलस्वरूप अन्य खसरा नम्बरान पर सड़क निर्माण कार्य किया गया और इसी कारण जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द को प्रतिकर वापस लौटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। वादीगण का वाद गलत, आधारहीन एवं मनमाने तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

4. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा जवाबदावा 46क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का विरोध कर कहा है कि वादीगण का प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर कभी भी कोई कब्जा अथवा स्वत्व नहीं रहा है बल्कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के भूमिधरी के खेत हैं जिन पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये–

1. क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ?

2. क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ?

3. क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ?

4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?

5. अनुतोष ?

6. वादी के द्वारा सूची 8ग1 से विक्रयपत्र दिनांक 103.03.2015 9ग, खाता खतौनी संख्या 00049 की प्रति 10ग, राजकीय उपनिरीक्षक की जॉच आख्या 11ग, धारा 229बी के वादपत्र की प्रति 12ग, लिखत दिनांक 13.11.1993 की प्रति 13ग, मूल लिखत 18 जेठ सम्वत्–2004 की सत्यप्रति 14ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 15ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 16ग, लोक निर्माण विभाग का पत्र 17ग, तहसीलदार भटवाड़ी के निर्णयादेश की प्रति 18ग, नोटिस दिनांकित 04.05.2017 19ग, जवाबी नोटिस दिनांकित 25.05.2017 20ग, डाक रसीद 21ग, लोक निर्माण विभाग के पत्र 22ग लगायत 26ग दाखिल किये हैं। सूची 73ग से एम्स ऋषिकेश व मैक्स अस्पताल देहरादून की रिपोर्ट 74ग लगायत 76ग/3 तथा सूची 78ग से कीमोथेरेपी की रिपोर्ट 79ग व रैफर सेन्टर की रिपोर्ट 80ग प्रस्तुत किये हैं। सूची 1088ग से न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.07.2020 की प्रति 109ग व उद्धरण खाता खतौनी की प्रति 110ग तथा सूची 122ग से राजस्व वाद के आदेश पत्र की नकल 123ग, प्रार्थना पत्र नकल 124ग, आदेश पत्र नकल 125ग तथा लिखित बहस नकल 126ग प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में वादीगण ने वादी–2 उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1, माया प्रसाद सेमवाल पी0डब्लू0–2, महेशानन्द रतूड़ी, पी0डब्लू0–3, प्रेमनारायण पी0डब्लू0–4, चक्रधर सेमवाल, पी0डब्लू0–5, श्रीमती शकुन्तला देवी, पी0डब्लू0–6, धर्मानन्द सेमवाल, पी0डब्लू0–7, प्रेमचन्द, पी0डब्लू0–8 एवं श्री कल्याण सिंह पोखरियाल, राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी, पी0डब्लू0–9 को परीक्षित कराया है।

7. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 ने दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 111ग से न्यायालय आयुक्त, पौड़ी गढवाल में योजित अपील संख्या 03 सन् 2020–21 में पारित आदेश दिनांकित 21.01.2021 की प्रति 112ग व उक्त अपील में तहसीलदार भटवाड़ी को जारी प्रति कागज 113ग दाखिल किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी–3 सुधांशु सेमवाल डी0डब्लू0–1 की मौखिक परीक्षा अंकित करायी है। प्रतिवादी 1 व 5 की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

:: निष्कर्ष ::

निस्तारण विवाद्यक संख्या–1

9. विवाद्यक संख्या–01 यह है कि क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ? उपरोक्त वाद बिन्दु वादीगण के अभिवचनों पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण पर है। वादीगण का कहना हे कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति फसली वर्ष 1422–1427 खाता खतौनी संख्या 0049 के खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे0 व खसरा नम्बर 1436 रकवा 0.0150 हे0 भूमि पर दो–तीन पीढियों से काबिज काश्त चले आते हैं और इस भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया से सम्वत् 2004 यानी 1947 में लिया था। वर्तमान में दावी भूमि पर वादीगण का पिछले दो दशकों से सेब का बगीचा है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने विवाद किया था और गंगोत्री पंचायत में लिखत दिनांकित 13.11.1993 बनाकर वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने प्रतिवादीगण के मुखिया जयन्ती प्रसाद को प्रतिफल मु0. 3200/– रूपये अदा किये गये। किन्तु प्रतिवादीगण का नाम त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा था और इसका लाभ उठाते हुये प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी श्री जयन्ती प्रसाद ने दावी सम्पत्ति का विकय विलेख दिनांक 10.03.2015 बिना अधिकार/कब्जा प्रतिवादी–1 के हक में राजमार्ग हेतु विकय कर दिया और प्रतिकर प्राप्त कर लिया। वादीगण को इसका पता चलने पर आपत्ति की तो प्रतिवादी–1 ने इस विवाद देखते हुये सड़क का समरेखण बदलकर अन्य खेतों से सड़क निर्माण कर प्रतिवादीगण 2 ता 4 से प्रतिकर रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी। वादीगण का कहना है कि उनका प्रतिकूल कब्जे के आधार पर न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में स्वत्व की घोषणा हेतु धारा 229–बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम (इसके बाद केवल अधिनियम कहा जा रहा है) के तहत वाद संख्या 46 वर्ष 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती प्रसाद आदि गतिमान है।

10. इसके विपरीत प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने लिखत 1947 अथवा दिनांक 13.11.1993 का प्रात्याख्यान करते हुये कहा है कि ये दस्तावेज पंजीकृत न होने के कारण प्रभावी नहीं हो सकते हैं तथा यह भी कहा है कि वादीगण का यदि कोई कब्जा वादग्रस्त सम्पत्ति पर है भी तो यह चोरी छिपे व अवैध अतिचारी का है। प्रतिवादीगण 2 ता 4 का कहना है कि दावी सम्पत्ति उनके स्वत्व अधिकार की थी इसलिये उनके द्वारा किया गया बयनामा दिनांकित 10.03.2015 सही है और उन्होंने प्रतिकर सही लिया है। प्रतिवादीगण 1 व 5 ने भी इन्ही आधारों पर वादीगण के अभिवचनों का विरोध किया है।

11. कथित मूल लिखत 18 जेठ सम्वत् 2004 की नकल पत्रावली पर कागज 15ग1/2 है जो स्पष्टतः पठनीय नहीं है किन्तु यह रसीद विदित होती है और थली दारत्या भूमि के बारे में प्रतीत है। कथित लिखत दिनांक 13.11.1993 की नकल पत्रावली पर कागज 14ग1/2 है। इस दस्तावेज के अवलोकन से जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द (प्रतिवादीगण 2 ता 4 के के पूर्वाधिकारी) ने भोला दत्त पुत्र पुरूषोत्तम दत्त (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के हक में लिखना विदित है कि दारत्या नामे तोक की जमीन की कीमत मु0. 3200/– प्राप्त कर ली है और उक्त खेत भोलादत्त के होंगे।

12. उक्त दस्तावेज 14ग1/2 में महेशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी, जयन्ती प्रसाद सेमवाल के आलवा पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम मुखबा व मनोज कुमार, मारकण्डेय के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। साक्षी महेशानन्द रतूड़ी पी0डब्लू0–3 ने कहा है कि उक्त दस्तावेज दिनांक 13.11.1993 उसके हस्तलेख में तैयार है तथा इस पर कीमत प्राप्त करने का लेखन उसके समक्ष स्वयं जयन्ती प्रसाद ने अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से लिखा है। दस्तावेज 14ग1/2 पर अन्त में यह अंकित है कि– " 3200/– रूपये उपरोक्त मैने खेत की कीमत नकद प्रापत किया। ह0 जयन्ती प्रसाद सेमवाल ।"

13. वादी साक्षी उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादपत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि माल अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 ता 4 का नाम बतौर भूमिधरी दर्ज है। प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के हक में विकयपत्र का प्रतिकर प्रापत किया। किन्तु वादीगण के द्वारा आपत्ति किये जाने पर कि दावी सम्पत्ति पर उनका पुराना कब्जा व सेब का बगीचा है, लोक निर्माण विभाग ने सड़क का समरेखण

बदलकर इस सम्पत्ति पर सडक नहीं बनायी और प्रतिकर वापसी हेतु जयन्ती प्रसाद के विरूद्ध नोटिस जारी किया। यह भी कहा है कि उन्होंने स्वयं को भूमिधर घोषित करने हेतु न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाडी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

14. विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की सत्यप्रति पत्रावली पर कागज 9ग1 है। यह विक्रयपत्र जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द ने खसरा नम्बर 1902 रक्बा 0.008 है0, खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.018 है0 तथा खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि प्रतिफल मु0 42189/- रूपये प्राप्त कर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी प्रतिवादी-1 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत किया है।

15. नकल खतौनी फसली वर्ष 1422-1427 कागज 11ग1 में दावी सम्पत्ति सहित अन्य सम्पत्तियों के प्रतिवादीगण सहखातेदार भूमिधर दर्शित हैं।

16. अधिनियम की धारा 229 बी0 के अधीन प्रस्तुत वाद संख्या 46 वर्ष 2014-15 भोलादत्त सेमवाल बनाम जयन्ती प्रसाद आदि के वादपत्र की नकल कागज 13ग1 पत्रावली पर दाखिल है। उक्त वादपत्र में वादीगण के पूर्वज भोलादत्त सेमवाल ने भी यही कहा है कि वे दस्तावेज 1947 व दिनांक 13.11.1993 के आधार पर दावी सम्पत्ति थली दारत्या पर काबिज होकर सेब की फसल कर रहे हैं और इस सम्पत्ति की कीमत प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी को अदा कर चुके है।। इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

17. उक्त वाद संख्या 46 वर्ष 2014-15 में विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज 109ग दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय एवं आदेश के अनुसार वादीगण को दावी सम्पत्ति का स्वामी घोषित कर उनका नाम माल रजिस्टरों में चढाने के आदेश हुये हैं।

18. उक्त निर्णय के आधार पर वादीगण का नाम दावी सम्पत्ति पर दर्ज होना बताया गया है। नकल खतौनी फसली वर्ष 1428-1433 कागज 110ग के अवलोकन से विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी के उक्त निर्णय के अनुपालन में वादीगण का नाम दावी समपत्ति में बतौर भूमिधर दर्ज हुआ है।

19. किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने असिस्टेंट कलक्टर, भटवाड़ी के उक्त निर्णय दिनांक 14.07.2020 के विरूद्ध अपील योजित करने का तर्क करते हुये उक्त निर्णय एवं आदेश के प्रभाव को आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा स्थगित रखे जाने का कथन किया है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 की प्रमाणित प्रति कागज 112ग दाखिल की गयी है। उक्त आदेश के अनुसार सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 के प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।

20. इस प्रकार इस स्तर पर वादीगण सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी घोषित नहीं हैं तथा सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14.07.2020 चुनौती के अधीन होने के कारण अन्तिम नहीं हुआ है। फलस्वरूप वादीगण का नाम खाता खतौनी में वादग्रस्त सम्पत्ति पर नामान्तरित होने पर भी प्रभावहीन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस स्तर पर यह माना जायेगा कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 ही दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर हैं।

21. विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद द्वारा किया गया है, जो विक्रयपत्र की सम्पत्ति का रिकार्डेड भूमिधर है उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है। वादीगण के हक वाले कथित दस्तावेज वर्ष 1947 या लिखत दिनांक 13.11.1993 दोनों अपंजीकृत दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेजों में कमशः मु0 400/- रूपये और मु0 3200/- रूपये कीमत विदित है। ऐसी परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार इसका पंजीकृत होना अनिवार्य है तभी यह विक्रयपत्र वैध माने जा सकते हैं।

22. वादीगण की ओर से एक तर्क यह भी है कि उनको उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रतिफल अदा कर देने व कब्जा प्राप्त लेने पर दस्तावेजों के पंजीकरण न होने की परिस्थितियों में भी उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम,य 1882 के अधीन संरक्षण प्राप्त है।

23. किन्तु दस्तावेज 1947 या दिनांकित 13.11.1993 निर्धारित तरीके से अन्तरण के दस्तावेज नहीं हैं न ही इन पर खसरा नम्बर अंकित हैं। कागज 14ग/2 दिनांकित 13.11.1993 पर खेत नम्बर को रिक्त छोड़ा गया है तथा यह साबित नहीं किया गया है कि 'दारत्या तोक' पर प्रतिवादीगण 2 ता 4 के केवल दावी खेत ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भागिक अनुपालन का सिद्धान्त वादीगण के हक में स्पष्टतया आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय बसन्ती बनाम बेणुगोपाल(मृतक) द्वारा विधिक वारिसान (2017) 4 SCC 723 में प्रतिपादित किया है कि धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त करने के लिये अन्तरिती को यह साबित करना आवश्यक है कि वह अपना भागिक पालन करने के लिये सदैव इच्छुक एवं तत्पर रहा था और अन्तरणकर्ता द्वारा ही भागिक पालन नहीं किया गया। उक्त मामले में भी स्वामी अन्तरणकर्ता ने पूर्व अनुबन्ध को दरकिनार कर वही सम्पत्ति अन्य को विक्रय कर दी थी तथा द्वितीय अन्तरिती को यह कहा था कि पूर्व अन्तरिती उस सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबिज है। उक्त मामले की ही तरह प्रस्तुत मामले में वादीगण ने वादपत्र में कहीं भी यह उदघाटित नहीं किया है कि वे और उनके पूर्वाधिकारी दस्तावेज वर्ष 1947 या दिनांकित 13.03.1993 के भागिक अनुपालन (कब्जा प्राप्त हो जाने और पूर्ण प्रतिफल अदा कर लिये जाने की परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत विक्रयपत्र के पंजीकरण) के लिये इच्छुक व तत्पर रहे, किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 अथवा उनके पूर्वाधिकारी टालते रहे। सुविज्ञ है कि संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने के लिये परिसीमा भी निर्धारित है। किन्तु वादीगण ने वादपत्र में ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है कि उनके द्वारा उक्त संविदा का अनुपालन प्रतिवादीगण 2 ता 4 या उनके पूर्वाधिकारी से कराये जाने हेतु उनके द्वारा या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी थी। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि परिसीमा समाप्त हो जाने पर भी ऐसा अन्तरिती अपने कब्जे को संरक्षित रखने का अधिकारी है। किन्तु इस प्रकारण में वादीगण या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा न तो संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने हेतु कोई प्रयास दर्शित किये गये हैं न ही उनको सक्षम न्यायालय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व का अधिकारी घोषित किया गया है। प्रतिवादी-1 के हक में किया गया विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 वैध एवं पंजीकृत दस्तावेज है तथा वादीगण ने यह भी नहीं बताया है कि उनके कब्जे का संज्ञान उक्त विक्रयपत्र करने से पूर्व प्रतिवादी-1 को रहा था। ऐसी परिस्थिति में वादीगण उक्त कब्जे के आधार को तलवार की तरह प्रयोग करने के अधिकारी नहीं हैं तथा उनका यह कब्जा अतिचारी की कोटि में आता है। तदनुसार वाद बिन्दु-1 निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या-2</u>

24. विवाद्यक संख्या-2 यह है कि क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रश्नगत विक्रयपत्र निष्पादित कर जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जिस पर तहसीलदार भटवाड़ी को मौके का सत्यापन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और तहसीलदार भटवाड़ी के आदेश पर राजस्व उपनिरीक्षक ने आख्या प्रस्तुत की। पत्रावली पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा की आख्या दिनांक 13.04.2015 की नकल 12ग है। जो भोलादत्त सेमवाल (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के प्रार्थना पत्र वास्ते मौका सत्यापन, तहसीलदार भटवाड़ी को प्रेषित की गयी है। इस आख्या में अंकित है कि खसरा संख्या 1435, 1436 व 1440 के भौतिक सत्यापन में आस-पास के खातेदार चकधर सेमवाल, मदरांचल

सेमवाल, मोहन लाल, रमेश चन्द आदि ने दिनांक 13.11.1993 से स्व0 भोलादत्त का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। आख्या में यह भी अंकित है कि उक्त खसरों पर सेब के फलदार पेड़ लगे है। खसरा संख्या 1440 भोला दत्त के नाम जबकि खसरा नम्बर 1435 व 1436 जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज है।

25. पूर्व वाद बिन्दु के निस्तारण में वादीगण के कब्जे की विस्तार से चर्चा करते हुये पाया गया है कि उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त न होने पर वे केवल अतिचारी हैं तथा वादग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादी–1 को विक्रय कर चुके हैं। ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया विधिक हस्तक्षेप मनमाना विदित नही होता है। इस कारण वाद बिन्दु–2 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–3</u>

26. विवाद्यक संख्या–3 यह है कि क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति, जो वादीगण के कब्जे में थी, बिना अधिकार प्रतिवादी–1 को विक्रय कर दी है। इसके पीछे वादीगण का तर्क है कि उनको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भौतिक स्वत्व के अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उनका कब्जा वर्ष 1947 से बदस्तर चला आ रहा था। किन्तु पूर्व चर्चा में यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रयपत्र निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु भागिक पालन के लिये कोई इच्छा अथवा तत्परता प्रदर्शित न करने के कारण उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का संरक्षण प्राप्त नहीं है न ही उनको सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी घोषित किया गया है। वादीगण के हक में सहायक कलक्टर, भटवाडी का निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 इस स्तर पर चुनौती के अधीन है और वैसे भी धारा 53ए अथवा धारा 54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का अनुपालन न होने पर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के होने के कारण प्रभावी होने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की जानकारी विद्वान न्यायालय के समक्ष रखी गयी होती तो विद्वान न्यायालय इस विकयपत्र के प्रभावों के बारे में भी अवश्य चर्चा कर आदेश पारित करते। तदनुसार वाद बिन्दु–3 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–4</u>

27. विवाद्यक संख्या–4 यह है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण ने वॉछित अनुतोषों हेतु वाद का मूल्यांकन कम कर अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। जबकि वादीगण का कहना है कि उनके द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

28. वादीगण ने यह वाद विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है। वादपत्र के पैरा 16 में वादीगण ने वाद का मूल्यांकन भूमि मु0. 83,000/– रूपये व सेब के बगीचों का बाजारी मूल्य मु0. 1,25,000/– रूपये कुल 2,08,000/– रूपये पर नियत कर वॉछित अनुतोषों हेतु कमश बयानामा निरस्ती हेतु प्रतिकर 3,39,57/– रूपये पर 3195/– रूपये न्यायशुल्क तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिकतमक मु0. 500/– रूपये न्यायशुल्क अदा किया है।

29. वादी ने भूमि व सेब के बगीचे का मूल्य मु0. 2,08,000/– रूपये वाद का मूल्यांकन कर बयनामा के प्रतिकर पर 33,957/– रूपये न्यायशुल्क अदा करना बताया है। न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(iv-A) के अनुसार विलेख निरस्ती के अनुतोष हेतु विषयवस्तु के बाजारी मूल्य पर न्यायशुल्क अदा करना होता है। विषयवस्तु का बाजारी मूल्य स्थावर सम्पत्ति की दशा में उपधारा (v), (v-A) तथा (v-B) जैसा

विषय हो, के अनुसार संगणित किया जाता है। प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर वादीगण ने सेब का बगीचा होना बताया है, ऐसी परिस्थिति में बाजारी मूल्य संगणना के लिये न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(v) (II) प्रासंगिक है। प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 कागज 9ग1 के अवलोकन से दावी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति (कुल 410 वर्गमीटर) की कीमत मु0. 42,189/– रूपये दर्शित है, जबकि दावी सम्पत्ति का इस विक्रयपत्र में केवल 330 वर्गमीटर रक्बा सम्मिलित है। ऐसी परिस्थिति में दावी सम्पत्ति की (विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के अनुसार केवल 330 वर्गमीटर) कीमत 33,957/– रूपये ही बैठती है। तदनुसार वादीगण ने उचित न्यायशुल्क अदा किया है, जबकि स्थायी व्यादेश हेतु अधिकतम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वाद बिन्दु–4 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण विवाद्यक संख्या–5

30. यह वाद बिन्दु अनुतोष के लिये है। वादीगण ने यह वाद प्रतिकूल कब्जे के अनुसार स्वयं को दावी सम्पत्ति का स्वामी हो जाने के आधार पर प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अनधिकृत हस्तक्षेप को रोके जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया है। किन्तु उपरोक्त विवेचन में यह तय हुआ है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिचारी की हैसियत से काफी समय से काबिज काश्त हैं तथा उनके द्वारा संविदा के भागिक पालन करने हेतु इच्छा व सदा तत्परता प्रदर्शित नहीं करने के कारण दस्तावेज वर्ष 1947 व दिनांकित 13.11.1993 के आधार पर उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है नथा वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामी घोषित नहीं है। ऐसे में दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर द्वारा पश्चात्वर्ती केता प्रतिवादी–1 को, पूर्ववर्ती संव्यवहार की जानकारी के अभाव में, विकय करना अवैध न होने के कारण प्रश्नगत विकयपत्र दिनांक 10.03.2015 निरस्ती योग्य नहीं है। तथापि बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति के कब्जे से जबरन बेदखल करने से विधि संरक्षण प्रदान करती है। तदनुसार वादीगण का वाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

31. वादीगण का वाद वास्ते निरस्ती विकयपत्र दिनांकित 10.03.2015 खारिज किया जाता है तथापि बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है।

32. वाद की परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष वाद व्यय वहन करेंगे।

33. तदनुसार डिकी तैयार की जाये।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम)
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम) 30/10/
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

PHOTO STAT
TRUE COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

PHOTO COPY
COMPARE B
2-500

OS No 65 of 2017 Basanti Devi and others Vs Ex.Engg PWD and others Civil Judge (S.D.) Uttarkashi

Annexure – 02 : The Decree of Hon'able Civil Court (Senior Division),Uttarkashi (30/10/2021)

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) उत्तरकाशी।

मू० वाद सं० 65/2017

बसन्ती देवी आदि V/s अधिशासी अभियन्ता
लो०नि० विभाग आदि

नकल डिक्री संलग्न है।

<u>केवल नकल फीस के लिये</u>

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि Date of Application is made for copy accompanied by the requisite Stamp.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि Date of posting notice on notice board.	नकल वापस लेने की तिथि Date Of delivery of copy.	नकल नापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official deliverin copy.
15/12/2021	15/12/2021	15/12/21	
पन्द्रह दिसम्बर सन दो हजार इक्कीस	पन्द्रह दिसम्बर सन दो हजार इक्कीस	पन्द्रह दिसम्बर सन दो हजार इक्कीस	15/12/2021
		No. 4 15/12/2021	

दि० - 15/12/2021

10/- Rs. copying

Akhilesh
(अखिलेश मह[illegible])
एडवोकेट

5 CF
₹ 10=00

मूल वाद में अज्ञाप्त

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी

दीवानी वाद संख्या– 65 सन् 2017

संस्थित दिनांक 14 मास 11 सन् 2017

1–बसन्ती देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी स्व0 भोला दत्त 2–उमा रमन उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त 3–रमा रमन उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त 4–वैकट रमन उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त निवासीगण ग्राम मुखबा पटटी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी।

प्रति

1–अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाडी जिला उत्तरकाशी। 2–मुकेश सेमवाल उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद 3–सुधांशु सेमवाल उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद 4 श्रीमती राजेश्वरी उम्र 62 वर्ष पत्नी जयन्ती प्रसाद निवासीगण ग्राम मुखबा पटटी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी।

2–उत्तराखंण्ड सरकार द्वारा कलक्टर उत्तरकाशी

टिप्पणीः–जो पते उपर दिये गये हैं,वह पक्षकारों को छोड़कर उपस्थित नहीं हुये तामिल के प्रयोजन से दाखिल किये गये है।

वाद अन्तर्गत 31 धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम –मूल्याकंन रु0 5,00,000.00 (पांच लाख)

क–कि प्रतिवादी सं0 1 एंव प्रतिवादी सं0 02 03 व 04 के मुखिया स्व0 जयन्ती प्रसाद द्वारा कपटपूर्ण एंव विधि विरूद्व बयनामा में अंकित खसरा नम्बरान 1435 रक्वा 0.018 है0 एवं 1436 रक्वा 0.015 है0 दि0 10.03.2015 को निष्पादित किया गया था जो कि उपनिबन्धक कार्यालय के पुस्तक सं0 01 खण्ड 892 पृष्ट 347 से 348 के कम सं0 235/15 मे पंजीकृत है को शून्य एंव निष्प्रावी घोषित कर आज्ञाप्ति प्रदान की जाया।

ख– वादीगण के पक्ष एंव प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति उसा आशय से पारित की जाया कि ग्राम मुखबा प0 टकनौर त0 तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 को खाता सं0 .00049 में दर्ज खसरा नम्बरान 1435 एवं 1436 में स्थित वादीगणों के फलदार बगीचे एंव भूमि पर स्वंय अथवा परिजनो, कर्मचारी अथवा नौकरों द्वारा छेडाकानी वा हस्तक्षेप करने से हमेशा हमेशा के लिय निषद्व किया जाय।

ग–कि वाद व्यय की डिक्री एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान को न्यायोचित प्रतीत हो डिकीवादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्व पारित की जाय।

वादी के लिए श्री जी0एस0 चौहान व कौशल चौहान अधिवक्ता की ओर प्रतिवादी के लिये श्री एस0सी0 रमोला (डी0जी0सी0) एवं आर0सी0 सेमवाल अधिवक्ता की उपस्थित में इस वाद के श्री मदन राम सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और अज्ञाप्त किया जाता है कि:–

–::आदेश::–

वादीगण का वाद वास्ते निरस्ती विक्रयपत्रा दिनांकित 10.03.2015 खारिज किया जाता है तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है। वाद की परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष वाद व्यय वहनन करेंगे।

और इस वाद के खर्चे मध्ये...रूपये की राशि आज की तारीख तक उस परकृ.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...........................द्वारा...........................को दी जाय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक 30 मास 10 सन् 2021 को दी गयी।

(मदन राम)
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी
15/11/21

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए मुद्रांक	3695=00	1.शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	2=00
2.शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	2=00	2.याचिका के लिए मुद्रांक	
3.प्रदर्शितों के लिए		3.अधिवक्ता की फीस	
4.अधिवक्ता की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमीशन निष्पादन की फीस		6.कमीशन निष्पादन की फीस	
7.आदेशिका की तामील	10=00	6.अन्य प्रा0 पत्रों पर	28=00
8.अन्य प्रा0 पत्रों पर	54=00	योग	
योग	3761=00		

मुन्सरिम
मुन्सरिम के हस्ताक्षर
सिविल जज (सी०डि०)
उत्तरकाशी

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

PHOTO COPY
COMPARE BY
400

PHOTO STAT
TRUE COPY
15/12/2021
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

Annexure – 03 : The Judgement of Hon'able Court of Assistant Collector

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

वाद संख्या–46/2014–15 धारा–229 (बी)

वादी– 1/1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त
1/2– श्री उमारमण 1/3– श्री रमारमण 1/4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, तह0 भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1/1–श्री मुकेश सेमवाल,
1/2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद
1/3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी जिला,उत्तरकाशी।
3– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी ।
4– ग्राम पंचायत मुखवा द्वारा प्रधान ग्राम सभा मुखवा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

नकल– उपरोक्त वाद में निर्णय आदेश दिनांक 14–07–2020 की छायाप्रति प्रमाणित 06 प्रति।

याचक
अ0क0 / परगना मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी, उत्तरकाशी
10-09-2020

आवश्यक स्टाम्प सहित प्राथना पत्र की तिथि	नक़ल तयार होने की तिथि	नक़ल देने की तिथि	नक़ल दे अधिकारी के
10-09-2020	10-09-2020	10-09-2020	वाचक परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला म भटवाड़ी, उत्तरकाशी 10/9/20

Rals (37) 10-9-20

14-20

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

वाद संख्या–46 / 2014–15 धारा–229 (बी) जमीं0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 1950

वादी– 1 / 1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त
1 / 2– श्री उमारमण 1 / 3– श्री रमारमण 1 / 4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, तह0 भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1 / 1–श्री मुकेश सेमवाल,
1 / 2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद
1 / 3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी जिला,उत्तरकाशी।
3– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी ।
4– ग्राम पंचायत मुखवा द्वारा प्रधान ग्राम सभा मुखवा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

:: निर्णय ::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी भोलादत्त सेमवाल के वाद पत्र दिनांक 07.07.2015 के आधार पर इस आशय से गतिमान हुई कि मौजा मुखवा पट्टी टकनौर के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता संख्या–00049 में इन्द्राज खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे0 एवं 1436 रक्वा 0.015 हे0 विगत दो पीढियों से वादी के स्वतन्त्र कब्जे काश्त में है। उक्त खसरा नम्बर 1435 और 1436 वही खसरा नम्बंरान है जिन पर सन् 1947 सम्बत 2004 में वादी के दादा पं0 विद्यादत्त ने थली अर्थात भवन निर्माण हेतु समतल की गई भूमि ठेकेदार के माध्यम से बनवाई थी, इस खेत को ग्राम मुखवा के लोग थली–दारत्या नाम से जानते है। इस थली के पूर्व भाग को सन् 1993 में जयन्ती प्रसाद पुत्र महिशानन्द ने अपना खेत बताया जिसे दिनांक 13.11.1993 की लिखत के अनुसार लक्ष्मी पूजन पर्व पर गंगोत्री धाम में गवाहान् श्री पूर्णानन्द सेमवाल व मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष श्री महेशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी हाल गंगोत्री धाम के हस्तलेख में बनाई गई थी, जिसके तहत 3,200.00 (तीन हजार दो सौ) की नकद धनराशि श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र महिशानन्द को भुगतान की गई थी। इसके बाद उक्त खेतो के साथ वादी ने अपनी भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 1440 रक्वा 0.028 हे0 पर बाहर से बाउन्ड्रीवाल लगाकर तीनों खसरा नम्बर पर सेब के फलदार पेड़ लगाकर खेतों को हर तरह से निर्विवाद रूप से काविज कास्त किया, वादी द्वारा लगाये गये सेब के पेड मौके पर आज भी मौजूद है। इतनी लम्बी अवधि तक निरन्तर, शान्तिपूर्ण तरीके से तथा बेरोक–टोक काबिज काश्त चले आने के बावजूद भी वादी का नाम दावी खेत न0 1435 और 1436 के लिए बतौर भूमिधर के राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज न होने का प्रतिवादी व उसके पुत्रों ने नाजायज फायदा उठाते हुये गुखवा–जांघला मोटरमार्ग निर्माण के लिए प्रतिवादी संख्या–2 के कर्मचारियों से सांठ–गांठ और मिली भगत कर प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में बयनामा पंजीकृत करा दिया, जिससे वादी के उक्त खसरा नम्बरों से संबंधित भौमिक हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना पैदा हो गई है।

वादी ने दावी भूमि की अद्यावधिक भौतिक स्थिति व कब्जे के सत्यापन के लिए दिनांक 30.03.2015 को परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

1 of 189

परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी उत्तरकाशी

राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी एवं राजस्व उप निरीक्षक हर्षिल ने दावी भूमि का मौका मुआयना कर तथा आस–पास के काश्तकारों से प्राप्त जानकारी और मौके की सही तथा वास्तविक स्थित संबंधी रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त स्थल निरीक्षण व स्थलीय जांच के बाद इस तथ्य की कानूनी तौर पर भी बखूबी पुष्टि हो जाती है कि दावी खसरा नम्बर–1435 व 1436 पर बन्दोवस्त से पूर्व ही विरासतन काबिज–काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 जयन्ती प्रसाद द्वारा दिनांक 13.11.1993 को वादी के पक्ष में दी गई लिखत के माध्यम से प्रतिकूल कब्जे के साथ–साथ प्रस्तुत प्रकरण में धारा–164 ज0वि0अ0 के प्राविधानों का प्रलाभ प्राप्त करने का भी वादी पूरा–पूरा अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी सं0–1 से दावी खसरा नम्बरों को हस्ब कायदा वादी के नाम बयनामा रजिस्ट्री पंजीकृत कराने हेतु भी कई बार तकाजा किया, किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 के पुत्रो ने प्रतिवादी को उत्तरकाशी लाकर और प्रतिवादी के शारीरिक व मानसिक तौर से बयनामा रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के लिए अशक्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में बयनामा पंजीकृत करा दिया, जो सरासर गलत और गैर कानूनी है। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में दावी खेतो का जो बयनामा पंजीकृत किया गया है वह प्रारम्भ से ही (Ab Initio) से ही अकृत, शून्य और निष्प्रभावी है, क्योंकि प्रश्नगत बयनामा मात्र कागजी कार्यवाही तक ही सीमित है। वादी दावी भूमि पर काबिज है और वादी और उसके परिजनों द्वारा दावी भूमि पर उगाये गये सेब के पेड़ आज भी मौके पर मौजूद है। बिना कब्जे के हस्तान्तरण के प्रश्नगत बयनामा विधिमान्य नहीं है। वादी ने कानूनी नोटिस दिनांक 03.04.2015 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या–2 को दावी खेतो से संबंधित सभी तथ्यों से अवगत करा दिया था, किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से अपनी गलती को नहीं स्वीकारा गया और मामले को लीपा–पोती करने की कोशिश करते हुये दबाने का प्रयास किया, जिस कारण से वादी को न्यायालय श्रीमान की शरण लेकर प्रतिवादीगणो के विरूद्व कार्यवाही करते हुये दावी भूमि को अपने नाम संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की हैसियत से इन्द्राज करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। वादी ने मुखवा पट्टी टकनौर के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता संख्या–00049 में दर्ज खसरा संख्या–1435 रक्वा 0.034 हे0 व 1436 रक्वा 0.015 हे0 भूमि का भूमिधर घोषित करते हुये तदनुसार माल अभिलेखों में वादी के नाम इन्द्राजी की घोषणात्मक डिक्री करने एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्व पारित करने का अनुतोष मांगा है। वाद पत्र के साथ ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता खतौनी संख्या–00049, लिखत 28 जेष्ट 2008, 13.11.1993, नोटिस प्रतिवादी संख्या–2 मय प्राप्ति दिनांक 23.02.2015, नकल बयनामा दिनांक 10.03.2015, प्रार्थना पत्र वादी 30.03.2015, केबियट प्रार्थना पत्र 30.03.2015, स्थलीय निरीक्षण आख्या राजस्व उप निरीक्षक मुखवा दिनांक 13.04.2015 की प्रमाणित छायाप्रति, नोटिस धारा–80 सी0पी0सी0 दिनांक 03.04.2015 की छायाप्रति मय डाक प्रेषण रसीद सहित संलग्न कर प्रस्तुत किये गये है।

वाद दर्ज कर पक्षकारों को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या–2 ने अपना जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के नाम की इन्द्राजी का सत्यापन करवाने के पश्चात ही दावी सम्पत्ति को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अध्याप्त कर बयनामा पंजीकरण के माध्यम से क्रय किया गया जो विधिनुसार पूर्णतः सही व मान्य है। यदि यह मान भी लिया जाय कि वादी का तथाकथित कोई कब्जा प्रश्नगत सम्पत्ति पर कभी रहा भी होगा तो दावी सम्पत्ति का बैनामा पंजीकरण प्रतिवादी/जबावदेह विभाग के नाम दर्ज होने के पश्चात अब वादी द्वारा उक्त वादी ज0वि0अधि0 के तहत योजित करने का विधि अनुसार कोई भी औचित्य नहीं है। वादी को चाहिये था कि व प्रश्नगत सम्पत्ति के बैनामा पंजीकरण को निरस्त करवाने हेतु यदि वह चाहे तो सिविल न्यायालय में वाद दायर करता। प्रतिवादी

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

2 Of 189

परगना मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी उत्तरकाशी

संख्या–3 उत्तराखण्ड सरकार की ओर से जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि वादी ने प्रतिवादी की मिली भगत से कब्जा मुखालपाना की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी से बचने की नियत से वाद योजित किया है। वादी का कब्जा अभिलेखों में दर्ज नहीं है वाद कूटसंधि है, और खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से बावजूद समन तामीली के कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो गयी, जिसके फलस्वरूप उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया। मूल प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता दावी खसरा नम्बर 1435 व 1436 के मालिक भूमिधर थे। उनके द्वारा दावी खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या–2 को दिनांक 10.03.2015 में बयनामा कर दिया था, और कब्जा हस्तान्तरण भी कर दिया था। मृतक जयन्ती प्रसाद को बयनामा करने का कानूनन हक हासिल था। वादीगण का कब्जा दावी खेत पर 1947 से अभिलेखों में दर्ज नहीं है। दावे के साथ प्रस्तुत लिखित पजीकृत नहीं है। दावी खेतो की जो रजिस्ट्री की गई है वह अभी तक प्रभावी है। वादी द्वारा दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 (डी0) प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के जबाव में संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। बाद सुनवाई के वादी के प्रार्थना पत्र 229 (डी0) को स्वीकार किया गया।

वाद पत्र एंव प्रतिवाद पत्र के आधार पर वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु नियत किये गये:–

1– क्या वादीगण दावी भूमि पर पुस्तैनी रूप से निरन्तर व स्वतंत्र काबिज काश्त चले आ रहे है ? यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

2– क्या वादीगण के पति/पिता से प्रतिवादी संख्या–1,/1/2, 1/3 के पिता/पति द्वारा मु0 3200.00 की कीमत प्राप्त कर दिनांक 13.11.1993 में हुई लिख द्वारा अपना स्वत्व हित व अधिकार हस्तान्तरित कर चुके थे, और उक्त दावी भूमि आज वादीगण के फलदार सेब के बगीचे से आबाद है, यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

3– क्या वादीगण दशकों पूर्व से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर घोषित हो चुके है, यदि हा तो वाद पर प्रभाव ?

4– क्या वादीगणों के द्वारा प्रतिवादीगणों से मिलकर कर स्टाम्प ड्यूटी से बचने की नीयत वाद दायर किया है ? यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

5– वादीगण किस अनुतोश को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

वादीगणों ने अपने वाद के समर्थन में पी0डब्लू0–1 उमारमण सेमवाल पुत्र भोलादत्त, निवासी मुखवा पी0डब्लू0–2 सन्तोष सेमवाल पुत्र दामोदर प्रसाद सेमवाल ग्राम मुखवा पी0डब्लू–3 कल्याणसिंह पोखरियाल पुत्र स्व0 मोलासिंह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मुखवा, पी0डब्लू0–4–श्री प्रेम नारायण सेमवाल पुत्र पुरूषोत्तम दत्त, मुखवा तथा पी0डब्लू0–5–विनोद कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह ग्राम सैज शिमला के बयान परिक्षित करवाये गये। प्रतिवादी संख्या–2 एवं संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 जबावदावा प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, जिसके फलस्वरूप उनके बिरूद्व दिनांक 07.08.19 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

पी0डब्लू0–1 वादी श्री उमारमन सेमवाल ने अपने बयानों कहा कि ग्राम मुखवा के दारत्या नामे तोक में वादी के पुस्तैनी थली दारतिया नामक जमीन है जिसके अन्तर्गत खेत नम्बर 1435 व 1436 मौके मुयाने पर राजस्व उप निरीक्षक मुखवा व राजस्व निरीक्षक मुखवा ने होना बताया

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

3 Of 189

है। यह खेत नम्बर खतौनी खाता संख्या–00049 में जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज होना बताया। उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 13.11.1993 को वादी के पिता स्व0 भोलादत्त ने मु0 3200.00 रूपये की धनराशी जयन्ती प्रसाद को देकर उनके समस्त स्वत्व हित व अधिकारों को स्वयं के पक्ष में घरेलू लिखत के आधार पर हस्तान्तरण कर दिया था। तत्पश्चात उक्त भूमि पर सेब का बगीचा लगवाया जो आज की तिथि तक भी वादी के स्वंतत्र काबिज काश्त की भूमि है। वादीगण के कब्जे एवं बागीचे के संबंधित कागज पत्राक 602 दिनांक 11.03.2016 व पत्रांक संख्या–653 दिनांक 17.03.2016 वाद पत्रावली में सम्मिलित है। दाखिला निरस्त का भी आदेश संलग्न है। वादी आज की गवाही के साथ सिविल न्यायालय सी0डी0 के वाद संख्या–65/2017 में राजस्व निरीक्षक के बयान जिरह एवं लिखत के गवाह महेशानन्द के बयान व जिरह एवं प्रेमनारायण के बयान व जिरह के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश कर रहा है।

पी0डब्लू–2 गवाह श्री सन्तोष सेमवाल ने अपने बयाना में कहा कि मैने ग्राम मुखवा के दारतिया नामे तोक पर थली दारतिया तोक/जमीन पर भोलादत्त पुत्र पुरूषोत्तम दत्त व उनके पत्नी श्रीमती बसन्ती देवी का आजीवन स्वंतत्र काबिज कास्त देखा है। विगत 24–25 वर्ष पूर्व उनके सेब का बगिचा लगाते देख है तथा आज तक परवरिश करते देखा है। मुझे राजस्व कर्मियो के मौके मुआयने के दिन पता चला कि इस खेत का खसरा नम्बर 1435 व 1436 है जिसका मुझे रक्वा पता नहीं है। यह खेत जयन्ती प्रसाद के नाम अंकित बताये गये है किन्तु मैने उक्त व्यक्ति एवं उसके परिजनो को कभी भी कास्त करते हुये नहीं देखा है।

पी0डब्लू0–3 गवाह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री कल्याणसिंह पोखरियाल ने अपने बयानो में कहा कि तहसीलदार भटवाड़ी के कार्यालय से दिनांक 13.04.2015 को राजस्व उप निरीक्षक मुखवा की जांच रिपोर्ट परीक्षण हेतु मुझे दी गई और दिनांक 14.04.2015 को जांच हेतु मौके पर ग्राम मुखवा गया। मेरे साथ मौके पर सुनील चमोली राजस्व उप निरीक्षक मुखवा एवं आस पास के कास्तकार उपस्थित थे। मौके पर स्थिति के अनुसार दिनांक 14.04.2015 की जांच रिपोर्ट मेरे द्वारा वाद पत्राली पर संलग्न कागज संख्या अ–4/11 व अ 4/12 जो कि राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट है के पृष्ठ भाग पर मेरी जांच आख्या हे जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट पर किये गये हस्ताक्षर की मैं पहचान करता हूँ। उक्त राजस्व उप निरीक्षक मेरे अधीन सेवारत था। स्व0 भोलादत्त सेमवाल के प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम मुखवा के खेत नम्बर 1435 व 1436 कुल रक्वा 0.049 हे0 भूमि का मौका मुआयना किया गया तो आस पास के कास्तकारों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर पर स्व0 भोलादत्त का पुस्तैनी व स्वंतत्र कब्जा कास्त है, जिस पर उनका फलदार सेव का बागिचा है और मौके पर यह पता चला कि दिनांक 13.11.93 के पंचायतनामा लिखत के माध्यम से स्व0 भोलादत्त ने मु0 3200.00 की धनराशि लेकर स्व0 जयन्ती प्रसाद से उनका समस्त स्वत्व व हित का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर लिया था। मेरी विस्तृत आख्या वाद पत्रावली में कागज संख्या–अ–4/11 व 4/12 शामिल है। उक्त खेत नम्बरों के बावत मेरी गवाही सिविल न्यायालय सी0डी0 उत्तरकाशी के व्यवहार वाद संख्या–65/17 में हो चुकी है जिसमें शासकीय अधिवक्ता द्वारा मेरे बयानो पर प्रतिप्रक्षिा शून्य घोषित की गई।

पी0डब्लू0–4 गवाह श्री प्रेमनारायण सेमवाल ने अपने बयाना में कहा कि मैं ग्राम मुखवा के दारतिया नामे तोक का कस्तकार हूँ। मेरा खेत खसरा नम्बर 1447 है, अन्य भी खेत है जिन पर मैने सेब का बगीचा लगा रखा है। मैने खेत नम्बर 1435 व 1436 पर आजीवन भोलादत्त सेमवाल को पुस्तैनी काबिज कास्त देखा है। मैने भोलादत्त व उसकी पत्नी को 23–24 वर्ष पहले सेब का बागिचा लगाते हुये देखा है जो वर्तमान में फलदार है, जिस पर बसन्ती देवी आज दिन तक काबिज काश्त है। इन खेत नम्बरों के संबंध में मेरी गवाही सिविल न्यायालय

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

लिपिक
परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी

उत्तरकाशी में हो चुकी है। मेरे साथ पडोसी कास्तकार मायाप्रसाद की व लिखत दिनांक 13.11.93 के लिखतकर्ता महेशानन्द ग्राम भटवाडी की गवाही भी हो चुकी है। मैं वाद पत्रावली में संलग्न दोनो गवाहो के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। भोलादत्त व जयन्ती प्रसाद की मध्य हुई लिख दिनांक 13.11.93 का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं बसन्ती देवी की पुस्तैनी रूप से आज तक वर्णित खेत नम्बरानो पर स्वंतत्र काबिज कास्त व उनके फलदार सेब के बगीचे लगाने देखभाल करने का प्रत्यक्षदर्शी हॅ।

पी0डब्लू0–5 गवाह श्री विनोद कुमार ने अपने बयाना में कहा कि खेत नम्बर 1435 व 1436 ग्राम मुखवा के दारतिया नाम तोक पर जो है उस पर मैने विगत 15–16 वर्ष से लगातार स्व0 भोलादत्त सेमवाल के ठेकेदार के रूप में उन खेतो पर उगे सेब के पेड़ो की कंटिग व दवाईया का कार्य किया है।इस वर्ष भी मैं श्रीमती बसन्ती देवी के ठेकेदार के रूप में कार्य कर चुका हूँ। और मुझे प्रतिवर्ष मजदूरी मिलती रहती है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि वर्णित खसरा नम्बरों पर श्री भोलादत्त सेमवाल का स्वतंत्र काबिज कास्त सेब का बगीचा है।

मैंने पत्रावली का गहन अध्ययन किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस का अवलोकन किया तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की मौखिक बहस सुनी, जिसके आधार पर नियत वाद बिन्दुओं का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है:–

वाद बिन्दु सख्या–1– वादी साक्ष्य, गवाहों द्वारा अपने बयानो में कहा गया है कि दावी खसरा नम्बरों पर वादीगण का 24–25 वर्ष पूर्व का सेब का बागीचा स्थित है जिसमें फलदार वृक्ष स्थित है। उनके द्वारा दावी भूमि पर वादीगण का कब्जा देखा है, प्रतिवादी संख्या–1 का कभी कोई कब्जा नहीं देखा है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी/उप निरीक्षक मुखवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि दावी भूमि पर वादी भोलादत्त का सेब का बगीचा स्थित है जिस पर वे 24–25 वर्षो से काबिज काश्त है तथा आस पास के कास्तकारों द्वारा निरीक्षण के समय दावी भूमि पर वादी का पुस्तैनी कब्जा होना बताया गया है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा जबावदावे के अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त न हो। गवाहो के बयान एवं राजस्व निरीक्षक की भौतिक सत्यापन आख्या से दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त सिद्व है। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–2– वादी साक्ष्य, गावाहो द्वारा अपने बयानों में दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा होना बताया गया है, तथा दावी भूमि को वाद के मूल वादी द्वारा दिनांक 13.11.1993 में प्रतिवादी संख्या–1 से 3200.00 में क्रय किया जाना स्वीकार किया है। पी0डब्लू0–4 द्वारा अपने बयानों में कहा कि वे लिखत के प्रत्यक्षदर्शी है। उनके द्वारा भी अपने बयानो में लिखत होना स्वीकार किया गया है। सभी गवाहों ने अपने बयानो में तथा स्थल निरीक्षण आख्या में दावी भूमि पर वादी का 24–25 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया है, जिससे सिद्व है कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या–602 दिनांक 11.03.2016 में भी उल्लिखित है कि दावी खसरा नम्बर 1435 एवं 1436 पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा है, और उस पर उनका बगीचा स्थित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–2 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–3– वादी साक्ष्य, राजस्व कर्मियों की स्थल निरीक्षण आख्या, से सिद्व है कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी शान्तिपूर्ण कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को भूमिधर अधिकार प्राप्त है। अतः वाद बिन्दु संख्या–3 वादीगण के पक्ष निर्णित किया जाता है।

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

5 Of 189

पेशकार
परगना मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी

वाद बिन्दु संख्या–4–प्रतिवादी संख्या–3 सरकार उत्तराखण्ड के द्वारा अपने जबाबदावे में उल्लेख किया है कि वादी ने प्रतिवादीगणों से मिलीभगत कर कब्जा मुखालपना की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी से बचने के नीयत से वाद योजित किया है वाद कूटसंधि है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वाद बिन्दु संख्या–6 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–3– वादी एवं गवाहों के बयानो से दावी भूमि पर वादीगण का 12 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर कब्जा काश्त सिद्व है। ज0वि0अधिनियम 1950 के प्राविधानों के अनुसार दावी भूमि पर वादी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः वाद सिद्व होने से वादी के पक्ष में डिक्री किया जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। मौजा मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता खतौनी संख्या–00049 में दर्ज खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.034 हे. तथा 1436 रक्बा 0.015 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या–1/1–श्री मुकेश सेमवाल, 1/2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद 1/3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के नाम से पृथक कर वादीगण 1/1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त, 1/2– श्री उमारमण, 1/3– श्री रमारमण , 1/4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, पट्टी टकनोर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज हो।

(डी0एस0नेगी)
असिस्टेन्ट कलक्टर
भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 14–07–2020 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर,
भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी

सत्यप्रतिलिपि

परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी
10-09-2020

229 (B)

6 Of 189

Annexure – 04: Land Record/ Khatooni- 00105,

Which clears Applicants as Bhoomidhar/owner of that land

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

ग्राम का नाम : मुखवा   परगना : (भटवाड़ी)   तहसील : भटवाड़ी   जनपद : उत्तरकाशी   फसली वर्ष : 1428-1433   भाग : 1   खाता संख्या : 00105

1 — 2 — 3 खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	4 भौमिक अधिकार का वर्ष	5 खसरा संख्या	6 क्षेत्रफल (है.)	7-12 — 13 आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हो					
मुकेश / जयन्ती प्रसाद / मुखवा सुधांशु / जयन्ती प्रसाद / मुखवा राजेश्वरी देवी / जयन्ती प्रसाद / मुखवा किशन सिंह / जोत सिंह सहखातेदार 1 / मुखवा	1386फस्	220 671 932 949 981 1029 1031 1087 1092 1148 1223 1225 1258 1366	0.0260 0.0650 0.0400 0.0030 0.0230 0.0210 0.0450 0.0230 0.0540 0.0300 0.0130 0.0180 0.0230 0.0280	टिप्पणी-1ख0न03906/0.019,3907/0.031 कुल 0.050 है0 भूमि विक्रेता जयन्तिप्रसाद पु0 महेशानन्द के अंश से किशनसिंह पु0 जोत सिंह सा0 मुखवा के नाम मु0अ0न्या0अति0कलेक्टर भटवाड़ी के आदेश वाद संख्या 46/2014-15 दि0 14.07.2020 अन्तर्गत धारा 229 (बी) ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्य0अधि0 1950 के अनुसार ख0सं0 1435/0.034, 1436/0.015, कुल रकबा 0.049है0 भूमि प्रतिवादीगण मुकेश, सुधांशु पुत्रगण जयन्ती प्रसाद, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी जयन्ती प्रसाद के नाम से पृथक कर वादीगण श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी भोलादत्त व उमारमण, रमारमण, वेंकटरमण पुत्रगण भोलादत्त के नाम बतौर भूमिधर मे दर्ज किया, ह0/र0का0भ0 दि0 23.09.2020	मु0ब0वि0 पं0नै0बैक हर्षिल दि 13.01.17 के अनुसार खातेदार किशन सिंह पु0 जोत सिंह ने अपने अंश की भूमि को मु0 3.00 रू0 कृषि ऋण मे बैक के नाम बन्धक रखा है उक्त भूमि पर बैक का प्रभार अंकित किया, ह0/स0र0का0भ0

Digital India

public/public_ror/public_ror_report.jsp

सेवा में

तहसीलदार महोदय भटवाड़ी

जिला उत्तरकाशी

महोदय, आपके हस्ताक्षरित आदेश दिनांक 13/4/[illegible] के क्रम में प्रार्थी भोलादत्त सेमवाल s/o पुरुषोत्तमदत्त [illegible] ग्राम मुखबा तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी बनाम (1) उप जिलाधिकारी भटवाड़ी (2) जयन्तीप्रसाद सेमवाल s/o महेशानन्द निवासी ग्राम मुखबा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र तथा राजस्व उपनिरीक्षक मुखबा की जांच का परीक्षण मौके पर नक्शा, अभिलेखों एवं मौका गवाही गवाहनों के आधार पर जांच आख्या इस प्रकार है :-

ग्राम मुखबा के खसरा सं० 1435 रकबा 0.034, 1436 रकबा 0.015 तथा खसरा सं० 1440 रकबा 0.028 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, सेब के फलदार पेड़ लगा रखे हैं, खसरा सं० 1440 प्रार्थी की पैतृक भूमि है, जो खतौनी खाता सं० 00076 में सहखातेदारों के साथ विरासतन भूमिधरी में दर्ज है, एवं खसरा सं० 1435, 1436 खतौनी खाता सं० 00049 में जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द के नाम पर भूमिधरी में दर्ज है। मौके पर उपस्थित उक्त वर्णित खसरा नम्बरानों के आस-पास मौका काबिज काश्तकारों सर्व श्री मदनमोहन सेमवाल s/o शिवानन्द, मोहनलाल सेमवाल s/o केदारदत्त, रमेशचन्द्र s/o रामचन्द्र सेमवाल, चक्रधर प्रसाद सेमवाल s/o श्रीधरप्रसाद ने बताया कि दरअसल नाम तोक के जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द के खसरा नम्बर 1435, 1436 प्रार्थी भोलादत्त सेमवाल s/o पुरुषोत्तमदत्त के काबिज काश्त में बन्दोबस्त से पूर्व से है, और प्रार्थी ने स्वयम बताया की जब मुझे यह पता चला कि दो खेत दरअसल तोक के मेरे कब्जे काश्त के जयन्तीप्रसाद सेमवाल के नाम दर्ज है, तो दिनांक 13/11/93 को महा लक्ष्मी पूजन पर्व पर गंगोत्री धाम में महेशानन्द रतूड़ी निवासी भटवाड़ी के हस्तलेख से गवाहान श्री पूर्णानन्द सेमवाल, 2-मनोजकुमार सेमवाल मारकण्डे, के समक्ष खसरा नम्बर 1435, 1436 की विक्रयनामा घरेलू लिखित से जयन्तीप्रसाद सेमवाल ने अपने हस्ताक्षर कर दिये और रु० 3200=० (तीन हजार दो सौ) भी प्राप्त किये थे, और निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी व मौके पर उपस्थित उक्त वर्णित व्यक्तियों ने बताया कि (मुखबा)- जांगला मोटर मार्ग के प्रस्तावित निर्माण में खसरा सं० 1435, 1436 का मुआवजा जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द नि० मुखबा ने आदि भारी भागीरथी प्राकृतिक खण्ड [illegible] भटवाड़ी के नाम पर प्राधिकार की धनराशि स्वयं ली है, जबकि

(Left margin endorsements: राजस्व उपनिरीक्षक / signature / 23-11-15 / रचना रजिस्ट्रेशन भटवाड़ी (उत्तरकाशी); राजस्व उपनिरीक्षक / signature / 02-09-16 / रचना रजिस्ट्रेशन भटवाड़ी (उत्तरकाशी))

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING

दिनांक 13/11/93 को रु० 3200 में प्रार्थी मोहन ...
गवाहनों के समक्ष आपसी परन्तु विक्रयनामा ...
इस सम्बन्ध में दिनांक 23-02-15 को प्रार्थी ने ...
प्रतीम स्वरूप लो०नि०वि० भरवाड़ी को आपसी प्रार्थना ...
लिख कर दिया है, ग्राम मुरब्बा के अधिकांश ...
ने बताया कि द्वारिल (मुरब्बा) - जायचला मोटर मार्ग के
निर्माण में अन्य काश्तकारों की भूमि भी पड़ती है, लोक
आपसी प्रार्थना पत्र के अलावा विभाग ने मोटर मार्ग
निर्माण हेतु अन्यों से आपसी सहमती से भूमि अध्याप्त
नहीं किया है। विभाजित खसरा सं० 1435, 1436 की कमल-
मा आपसी प्रार्थना पत्र के पश्चात वारना सन्देह का प्रतीक
प्रतीत जाहिर होता है जबकि विभाग को मौका काबिज
से भी सहमति ली जानी चाहिए, जो वैधानिक है, ताकि
मोटर मार्ग निर्माण में कोई बाधा न आये।

यह कि ग्राम मुरब्बा के खसरा नम्बर 1435, 1436,
तथा 1440 पर बाहर से कांटेदार तार लगाकर प्रार्थी ने फलदार
सेब के पेड़ लगाकर निर्विवाद रूप से कब्जा कायम चला आ
रहा, इसलिए उक्त वर्णित खसरा नम्बरों का अद्यावधिक
भौतिक मौका सत्यापन उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्य-
वाही हेतु सेवा में प्रेषित।

15/4/15
राजस्व निरीक्षक
भरवाड़ी

उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी।

महोदय, RI भटवाड़ी की भूमि-भौतिक
सत्यापन आख्या सेवा में सादर।

उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी
17/4/15

अपर जिलाधिकारी
22-4-15

02-05-16

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
भरवारी

क्र० 4/11

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र मोलादीन/तसनवाल पुत्र पुत्तनलाल निवासी ग्राम - पुरवा।

बनाम

विपक्षी गण अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० भरवारी उपखण्ड कौशाम्बी (1) सम्पत्ति प्रसाद केसरवानी पुत्र स्व० मदनलाल ग्राम - पुरवा पो० भरवारी जिला - कौशाम्बी के विरुद्ध ग्राम - पुरवा के खसरा संख्या 1435 व 1436 के प्रतिकर मु० रु० 3200 प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थी ने वर्ष 1993 में धरोहर लिखित के आधार पर कब्जा किये थे लेकिन दाखिल [illegible] सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है लेकिन विपक्षी सम्पत्ति प्रसाद केसरवानी ने वर्तमान समय में उपरोक्त खसरा नम्बर का भुगतान लो०नि०वि० के माध्यम से [illegible] प्रार्थी [illegible] की बताई गयी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने शिकायत की है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की अधिग्रहित भौतिक स्थिति के सत्यापन हेतु को आदेशित किया है।

अतः कि आपके आदेशानुसार खसरा संख्या 1435, 1436 एवं 1440 के अधिग्रहित भौतिक सत्यापन हेतु इस सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित मौके पर जाकर किया गया है। खसरा नम्बर के आस पास मौजूद काबिज सर्वश्री [illegible] प्रकाश S/o [illegible] मदनलाल केसरवानी S/o [illegible] मोहनलाल S/o [illegible] केसरवानी तथा ग्राम अन्य ग्राम वासियों से पूछताछ किया गया तथा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर पर आस पास काबिज लोगों ने बताया कि प्रार्थी मोलादीन [illegible] S/o पुत्तनलाल [illegible] दिनांक 13-11-93 से काबिज है, को [illegible] विपक्षी [illegible] रु० 1320 [illegible] क्योंकि उन्होंने विपक्षी [illegible]

सुसंगत प्रति [illegible]

लेखपाल [illegible]
02-09-16

तहसीलदार (भरवारी)

कृ० परीक्षण कर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
13/4/15

P.T.O

[illegible]

[illegible]

क्रय किया था, पावों द्वारा उक्त ग्राम में [illegible]
पर सेब के पेड़ लगा रखे हैं क्योंकि खसरा नम्बर
1440 एवं आदि खसरों में [illegible] के नाम [illegible]
के रूप में दर्ज है, तथा 1435, 1436 आदि खसरों के
विपक्षी [illegible] द्वारा [illegible] के नाम दर्ज
खाता [illegible] वर्ष 1993 में
[illegible] के आदेश [illegible] किया है, प्रार्थी
के [illegible] के [illegible] पावों का उक्त
खसरा नम्बरों पर [illegible] लगभग
40-50 वर्षों से कब्जा कायम है, [illegible]
[illegible]
है उक्त खसरा [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] उक्त [illegible]
स्पष्ट है कि विपक्षी [illegible]
खसरा [illegible] 1435 व 1436 को [illegible]
[illegible]

अतः खसरा नं. 1435, 1436 एवं 1440 का [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] राजस्व [illegible]
[illegible]

Annexure – 06 : Copy of FIR Filled in SP office Uttarkashi, (27/01/2025)

B

॥ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट ॥

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद उत्तरकाशी।

रिपोर्ट विरुद्ध- अज्ञात विभाग, अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अज्ञात ग्रामवासी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही हेतु सदर प्रेषित है।

1. यह कि प्रार्थिगण ग्राम मुखवा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी के मूल निवासी हैं, तथा प्रार्थीगण के परिवार जन विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के मध्य नजर अलग-अलग कस्बों व शहरो में रहते हैं, प्रार्थिनी बसंती देवी w/o स्व०. भोला दत्त सेमवाल व अल्पना देवी w/o स्व०. वेंकट रमण सेमवाल तथा बड़े पुत्र उमा रमन सेमवाल का परिवार वर्तमान में गंगोरी (नगर पालिका बाडाहाट, वार्ड नंबर 1) में स्थाई रूप से निवास करते है। तथा छोटे बेटे रमा रमन का परिवार देहरादून में निवास करता है।
2. यह कि दिनांक 25/01/2025 की सायं, ग्राम मुखवा की एक वीडियो, मुखवा ग्राम के के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रार्थीगण ने देखी जिसमें घट्टू खाल के पूर्व दिशा में दारत्या नामे तोक पर एक बड़ी जे.सी.बी के द्वारा प्रार्थीगण की थली दारत्या नामक जमीन को काटा व नष्ट करा जा रहा है, इस जमीन पर प्रार्थीगण के फलदार सेब, आदि का फलदार बगीचा था, विगत 26 - 27 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के पति/ससुर/पिता ने ग्राम मुखवा कि इस जमीन पर यह बगीचा लगवाया था।
3. यह कि उपरोक्त वीडियो को देखकर यहां लग रहा है की कोई विभागीय, अधिकारीगण /कर्मचारीगण उक्त जमीन व बगीचे को जे.सी.बी व मजदूरों द्वारा कटवा रहे हैं। जबकि प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बगीचे के काश्तकार हैं तथा उक्त जमीन को काटने हेतु किसी विभाग, संस्था या व्यक्ति द्वारा आज की तिथि तक कोई भी सहमति प्रार्थीगण से नहीं ली गई है जो की गैर-कानूनी व अन्यायपूर्ण कृत्या है।
4. यह कि उक्त जमीन पर वर्ष 2015 में P.W.D भटवाड़ी ने जयंती प्रसाद नामक व्यक्ति के नाम व उनके नितांत संदेहात्मक हस्ताक्षर से बयनामा अपने पक्ष में करवा लिया था।
5. यह कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० भोला दत्त ने उक्त जमीन के खेत खसरा नम्बरान 1435 व 1436 पर प्रथमता असिस्टेंट कलेक्टर भटवाड़ी को अदालत में वाद चलाया (46/2015), जिसमें दिनांक 14.7.2020 को प्रार्थीगण / पारिवारिक सदस्यों को फलदार सेब के बगीचे के आधार पर भूमिधर घोषित कर दिया था।
6. यह कि द्वितीय वाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन उत्तरकाशी, की अदालत में 65/2017 गतिमान किया गया, जिसमें प्रार्थीगण ने P.W.D भटवाड़ी आदि विपक्षीगण से फलदार सेब के बगीचे को बचाने हेतु अनुतोष मांगा गया जिस पर न्यायालय सिविल जज उत्तरकाशी कि न्यायालय ने प्रार्थीगण के पक्ष में व अधिशासी अभियंता भटवाड़ी उत्तरकाशी आदि के विरुद्ध **स्थाई निषेधाज्ञा (Permanent Injunction)** के आदेश दिनांक. 31/10/2021 को जारी कर दी थी।

७. यह कि प्रार्थीगण को ज्यादातर यह संदेह है कि इस संपत्ति को नष्ट करने का कृत्य P.W.D भटवाड़ी द्वारा करने की आशंका है, जो स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिकूल कुकृत्य है। इस कृत्य की गहराई पूर्वक जांच करने की कृपा की जाये।

अतः प्रार्थीगण श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, उत्तरकाशी से निवेदन करते हैं कि प्रार्थीगण के फलदार सेब आदि के बगीचे व कास्त काबिज जमीन को नष्ट भ्रष्ट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों, विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही हेतु प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

बसन्ती

प्रार्थीगण

श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व० भोला दत्त सेमवाल

अल्पना देवी पत्नी स्व० वेंकट रमन

उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व० भोला दत्त सेमवाल

दि०: 27/01/2025

हाल निवासी: गंगोरी (वार्ड न०. 01, नगर पालिका बड़ाहाट),

तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी ।

संपर्क नंबर: 7668447514, 9410753408

संलग्न दस्तावेज़:

1. सत्यापित छायाप्रति सिविल न्यायालय का **स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) आदेश** (दि०. 31/10/2021)
2. भूमि अभिलेख (खसरा-खतौनी, फसली वर्ष 1428-1433)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) उत्तरकाशी

दीवानी वाद संख्या- 65/2017

बसन्ती देवी आदि Vs. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आदि

नकल. निर्णय संलग्न है।

केवल नकल विभाग के लिये

आवश्यक [illegible] [illegible] करने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल [illegible] देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	[signature] 9.11.2021 No-1

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

5 CP
₹ 10=00
3/11/21

[signature]
(K. Chand[illegible])

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), उत्तरकाशी।

उपस्थित– मदन राम (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

दिनांक 30.10.2021

दीवानी वाद संख्या 65 सन् 2017

बसन्ती देवी आदि बनाम अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग आदि।

सी0एन0आर0नं0–UKUT0100*512017

वाद का विवरण

वादी	1. बसन्ती देवी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व0 भोला दत्त 2. उमा रमन, उम्र 41 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, 3. रमा रमन, उम्र, 36 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, 4. बैंकट रमन, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी।
वदीगण के अधिवक्ता	श्री जी0एस0 चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।
प्रतिवादीगण	1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 2. मुकेश सेमवाल, उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद, 3. सुधांशु सेमवाल, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद, 4. श्रीमती राजेश्वरी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर, उत्तरकाशी।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	प्रतवादी–1 व 5 की ओर से श्री ए0सी0 रमोला, जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)। प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस0सी0 रमोला, एडवोकेट।

वाद प्रस्तुत करने की तिथि	14.11.2017
जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	प्रतिवादी–1 व 5 ने दिनांक 01.12.2017 तथा प्रतिवादी 2 लगायत 4 ने दिनांक 20.04.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया।
विवाद्यक विरचन की तिथि	16.07.2018
साक्ष्य नियत किये जाने की तिथि	07.08.2018
साक्ष्य समाप्ति की तिथि	07.10.2021
पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित किये जाने की तिथि	23.10.2021
निर्णय की तिथि	30.10.2021

प्रतिवादीगण का विवरण

पद श्रेणी	प्रतिवादीगण का नाम	समन तामीली की तिथि	न्यायालय में उपस्थिति की तिथि	जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	अन्य विवरण
1	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—
2	मुकेश सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
3	सुधांशु सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
4	श्रीमती राजेश्वरी	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
5	उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा जिला कलक्टर, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—

अ– वादी के साक्षियों का विवरण :–

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी0डब्लू–1	उमारमन सेमवाल	वादी – 2
पी0डब्लू0–2	माया प्रसाद सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–3	महेशानन्द रतूड़ी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–4	प्रेमनारायण	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–5	चकधर सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–6	श्रीमती शकुन्तला देवी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–7	धर्मानन्द सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–8	प्रेमचन्द	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–9	कल्याण सिंह पोखरियाल	राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी।

ब– प्रतिवादी के साक्षियों का विवरण :–

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
डी0डब्लू–1	सुधांशु सेमवाल	प्रतिवादी–3

:: **निर्णय** :

वादीगण की ओर से–श्री जी0एस0 चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।

प्रतिवादी–1 व 5 की ओर से–श्री ए0सी0 रमोला, डी0जी0सी0(सिविल)।

प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस0सी0 रमोला, एडवोकेट।

दिनांक 30.10.2021– प्रस्तुत वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने हेतु योजित किया है।

2. संक्षेप में वाद के कथन यह हैं कि वादीगण मौजा मुखबा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 तक के खाता खतौनी

00049 में इन्द्राज खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.034 है0 एवं 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि पर विगत दो तीन पीढियों से स्वतंत्र काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिनमें से खसरा नम्बर 1435 म0 रक्बा 0.018 है0 व खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि वादीगण के कब्जा व बागभूमि के तथ्य को छुपाकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के मुखिया ने प्रतिवादी 1 के नाम विधि विरूद्ध बयनामा किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान 1435 व 1436 पर वादीगण के पूर्वज विद्यादत्त द्वारा भवन निर्माण हेतु थली बनायी थी, जिस कारण उक्त भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। इस थली के पूर्वी भाग को सन् 1993 में प्रतिवादी 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने अपना खेत बताया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.11.193 को पूर्णानन्द सेमवाल और मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष महेशानन्द रतूड़ी के हस्तलेख में लिखत बनी थी। जिसके अनुसार वादीगण के मुखिया स्व0 भोला दत्त द्वारा मु0. तीन हजार दो सौ रूपये की नकद धनराशि महेशानन्द को भुगतान कर उक्त थली अपने पास हस्तान्तरित करवा ली थी। वादीगण के मुखिया द्वारा खसरा नम्बर 1435 व 1436 पर चकबन्दी कर फलदार सेब का बगीचा बनाया गया जो कि आज आबाद है। उक्त खसरा नम्बरान पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु वादीगण के मुखिया ने असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में वाद संख्या 46 सन् 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती पसाद आदि विचाराधीन है। उक्त वाद दायर करने के बाद प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि जयन्ती प्रसाद की मृत्यु वाद संस्थित होने के एक वर्ष के उपरान्त हुयी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा असत्य व मनगढंत तथ्यों पर लगभग 20 माह बाद राजस्व न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त को वर्ष 2015 में पता चला कि उक्त खसरा नम्बर सड़क मार्ग के समरेखण में आने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त द्वारा दिनांक 23.02.2015 को लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन लोक निर्माण विभाग ने वादीगण के मुखिया की आपत्ति को नजर अन्दाज किया तथा बिना मौके का भौतिक सत्यापन किये दिनांक 10.03.2015 को फर्जी बयनामा किया गया जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया स्व0 जयन्ती प्रसाद के स्वयं के हस्ताक्षरों से निष्पादित नहीं किया गया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलदत्त ने इस सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा एवं राजस्व उपनिरीक्षक, भटवाड़ी द्वारा मौका मुआयना कर स्थलीय निरीक्षण किया और जॉच रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान पर पुस्तैनी रूप से काबिज होने व फलदार वृक्ष होने की पुष्टि की गयी। इसके उपरान्त प्रतिवादी–1 ने स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम से हडपे गये प्रतिकर की वसूली हेतु प्रतिवादी 2 ता 4 को पत्र लिखे व प्रतिकर वापस न करने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने उक्त बयनामा के विरूद्ध दाखिला खारिज वाद संख्या 35 सन् 2015 में आपत्ति प्रस्तुत की जिसके उपरान्त तहसीलदार भटवाड़ी द्वारा उक्त दाखिला खारिज वाद 35 सन् 2015 निरस्त किया जा चुका है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को भी है तथा उनके द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये बयनामा जो उपनिबन्धक कार्यालय के पुस्तक संख्या 01, खण्ड 892, पृष्ठ 347 से 348 के कम संख्या 235/15 में पंजीकृत है, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने व खसरा संख्या 1435 व 1436 में स्थित वादीगण के फलदार बगीचे व भूमि पर हस्तक्षेप करने से हमेशा–हमेशा के लिये प्रतिवादीगण को निषिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रतिवादीगण 1 व 5 द्वारा जवाबदावा 34क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का खण्डन किया है और यह कहा है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 1435 रक्बा 0. 034 है0 व खसरा संख्या 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के नाम इन्द्राज थी जिस कारण प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में बयनामा किया गया है। यह कहा है कि दावी सम्पत्ति पर फलदार वृक्ष होने

की जानकारी नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर वादीगण द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नही करने दिया गया जिसके फलस्वरूप अन्य खसरा नम्बरान पर सड़क निर्माण कार्य किया गया और इसी कारण जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द को प्रतिकर वापस लौटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। वादीगण का वाद गलत, आधारहीन एवं मनमाने तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

4. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा जवाबदावा 46क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का विरोध कर कहा है कि वादीगण का प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर कभी भी कोई कब्जा अथवा स्वत्व नहीं रहा है बल्कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के भूमिधरी के खेत हैं जिन पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये–

1. क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ?

2. क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ?

3. क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ?

4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?

5. अनुतोष ?

6. वादी के द्वारा सूची 8ग1 से विक्रयपत्र दिनांक 103.03.2015 9ग, खाता खतौनी संख्या 00049 की प्रति 10ग, राजकीय उपनिरीक्षक की जाँच आख्या 11ग, धारा 229बी के वादपत्र की प्रति 12ग, लिखत दिनांक 13.11.1993 की प्रति 13ग, मूल लिखत 18 जेठ सम्वत्–2004 की सत्यप्रति 14ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 15ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 16ग, लोक निर्माण विभाग का पत्र 17ग, तहसीलदार भटवाड़ी के निर्णयादेश की प्रति 18ग, नोटिस दिनांकित 04.05.2017 19ग, जवाबी नोटिस दिनांकित 25.05.2017 20ग, डाक रसीद 21ग, लोक निर्माण विभाग के पत्र 22ग लगायत 26ग दाखिल किये हैं। सूची 73ग से एम्स ऋषिकेश व मैक्स अस्पताल देहरादून की रिपोर्ट 74ग लगायत 76ग/3 तथा सूची 78ग से कीमोथेरेपी की रिपोर्ट 79ग व रैफर सेन्टर की रिपोर्ट 80ग प्रस्तुत किये हैं। सूची 1088ग से न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.07.2020 की प्रति 109ग व उद्धरण खाता खतौनी की प्रति 110ग तथा सूची 122ग से राजस्व वाद के आदेश पत्र की नकल 123ग, प्रार्थना पत्र नकल 124ग, आदेश पत्र नकल 125ग तथा लिखित बहस नकल 126ग प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में वादीगण ने वादी–2 उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1, माया प्रसाद सेमवाल पी0डब्लू0–2, महेशानन्द रतूड़ी, पी0डब्लू0–3, प्रेमनारायण पी0डब्लू0–4, चक्रधर सेमवाल, पी0डब्लू0–5, श्रीमती शकुन्तला देवी, पी0डब्लू0–6, धर्मानन्द सेमवाल, पी0डब्लू0–7, प्रेमचन्द, पी0डब्लू0–8 एवं श्री कल्याण सिंह पोखरियाल, राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी, पी0डब्लू0–9 को परीक्षित कराया है।

7. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 ने दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 111ग से न्यायालय आयुक्त, पौड़ी गढवाल में योजित अपील संख्या 03 सन् 2020–21 में पारित आदेश दिनांकित 21.01.2021 की प्रति 112ग व उक्त अपील में तहसीलदार भटवाड़ी को जारी प्रति कागज 113ग दाखिल किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी–3 सुधांशु सेमवाल डी0डब्लू0–1 की मौखिक परीक्षा अंकित करायी है। प्रतिवादी 1 व 5 की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

:: निष्कर्ष ::

निस्तारण विवाद्यक संख्या–1

9. विवाद्यक संख्या–01 यह है कि क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ? उपरोक्त वाद बिन्दु वादीगण के अभिवचनों पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण पर है। वादीगण का कहना हे कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति फसली वर्ष 1422–1427 खाता खतौनी संख्या 0049 के खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे0 व खसरा नम्बर 1436 रकवा 0.0150 हे0 भूमि पर दो–तीन पीढियों से काबिज काश्त चले आते हैं और इस भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया से सम्वत् 2004 यानी 1947 में लिया था। वर्तमान में दावी भूमि पर वादीगण का पिछले दो दशकों से सेब का बगीचा है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने विवाद किया था और गंगोत्री पंचायत में लिखत दिनांकित 13.11.1993 बनाकर वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने प्रतिवादीगण के मुखिया जयन्ती प्रसाद को प्रतिफल मु0. 3200/– रूपये अदा किये गये। किन्तु प्रतिवादीगण का नाम त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा था और इसका लाभ उठाते हुये प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी श्री जयन्ती प्रसाद ने दावी सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 10.03.2015 बिना अधिकार/कब्जा प्रतिवादी–1 के हक में राजमार्ग हेतु विक्रय कर दिया और प्रतिकर प्राप्त कर लिया। वादीगण को इसका पता चलने पर आपत्ति की तो प्रतिवादी–1 ने इस विवाद देखते हुये सड़क का समरेखण बदलकर अन्य खेतों से सड़क निर्माण कर प्रतिवादीगण 2 ता 4 से प्रतिकर रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी। वादीगण का कहना है कि उनका प्रतिकूल कब्जे के आधार पर न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में स्वत्व की घोषणा हेतु धारा 229–बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम (इसके बाद केवल अधिनियम कहा जा रहा है) के तहत वाद संख्या 46 वर्ष 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती प्रसाद आदि गतिमान है।

10. इसके विपरीत प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने लिखत 1947 अथवा दिनांक 13.11.1993 का प्रात्याख्यान करते हुये कहा है कि ये दस्तावेज पंजीकृत न होने के कारण प्रभावी नहीं हो सकते हैं तथा यह भी कहा है कि वादीगण का यदि कोई कब्जा वादग्रस्त सम्पत्ति पर है भी तो यह चोरी छिपे व अवैध अतिचारी का है। प्रतिवादीगण 2 ता–4 का कहना है कि दावी सम्पत्ति उनके स्वत्व अधिकार की थी इसलिये उनके द्वारा किया गया बयनामा दिनांकित 10.03.2015 सही है और उन्होंने प्रतिकर सही लिया है। प्रतिवादीगण 1 व 5 ने भी इन्ही आधारों पर वादीगण के अभिवचनों का विरोध किया है।

11. कथित मूल लिखत 18 जेठ सम्वत् 2004 की नकल पत्रावली पर कागज 15ग1/2 है जो स्पष्टतः पठनीय नहीं है किन्तु यह रसीद विदित होती है और थली दारत्या भूमि के बारे में प्रतीत है। कथित लिखत दिनांक 13.11.1993 की नकल पत्रावली पर कागज 14ग1/2 है। इस दस्तावेज के अवलोकन से जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द (प्रतिवादीगण 2 ता 4 के के पूर्वाधिकारी) ने भोला दत्त पुत्र पुरूषोत्तम दत्त (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के हक में लिखना विदित है कि दारत्या नामे तोक की जमीन की कीमत मु0. 3200/– प्राप्त कर ली है और उक्त खेत भोलादत्त के होंगे।

12. उक्त दस्तावेज 14ग1/2 में महेशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी, जयन्ती प्रसाद सेमवाल के आलवा पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम मुखबा व मनोज कुमार, मारकण्डेय के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। साक्षी महेशानन्द रतूड़ी पी0डब्लू0–3 ने कहा है कि उक्त दस्तावेज दिनांक 13.11.1993 उसके हस्तलेख में तैयार है तथा इस पर कीमत प्राप्त करने का लेखन उसके समक्ष स्वयं जयन्ती प्रसाद ने अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से लिखा है। दस्तावेज 14ग1/2 पर अन्त में यह अंकित है कि– " 3200/– रूपये उपरोक्त मैने खेत की कीमत नकद प्रापत किया। ह0 जयन्ती प्रसाद सेमवाल ।"

13. वादी साक्षी उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादपत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि माल अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 ता 4 का नाम बतौर भूमिधरी दर्ज है। प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के हक में विक्रयपत्र का प्रतिकर प्रापत किया। किन्तु वादीगण के द्वारा आपत्ति किये जाने पर कि दावी सम्पत्ति पर उनका पुराना कब्जा व सेब का बगीचा है, लोक निर्माण विभाग ने सड़क का समरेखण

बदलकर इस सम्पत्ति पर सडक नहीं बनायी और प्रतिकर वापसी हेतु जयन्ती प्रसाद के विरूद्ध नोटिस जारी किया। यह भी कहा है कि उन्होंने स्वयं को भूमिधर घोषित करने हेतु न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाडी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

14. विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की सत्यप्रति पत्रावली पर कागज 9ग1 है। यह विक्रयपत्र जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द ने खसरा नम्बर 1902 रक्बा 0.008 है0, खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.018 है0 तथा खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि प्रतिफल मु0 42189/– रूपये प्राप्त कर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी प्रतिवादी–1 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत किया है।

15. नकल खतौनी फसली वर्ष 1422–1427 कागज 11ग1 में दावी सम्पत्ति सहित अन्य सम्पत्तियों के प्रतिवादीगण सहखातेदार भूमिधर दर्शित हैं।

16. अधिनियम की धारा 229 बी0 के अधीन प्रस्तुत वाद संख्या 46 वर्ष 2014–15 भोलादत्त सेमवाल बनाम जयन्ती प्रसाद आदि के वादपत्र की नकल कागज 13ग1 पत्रावली पर दाखिल है। उक्त वादपत्र में वादीगण के पूर्वज भोलादत्त सेमवाल ने भी यही कहा है कि वे दस्तावेज 1947 व दिनांक 13.11.1993 के आधार पर दावी सम्पत्ति थली दारत्या पर काबिज होकर सेब की फसल कर रहे हैं और इस सम्पत्ति की कीमत प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी को अदा कर चुके है।। इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

17. उक्त वाद संख्या 46 वर्ष 2014–15 में विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज 109ग दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय एवं आदेश के अनुसार वादीगण को दावी सम्पत्ति का स्वामी घोषित कर उनका नाम माल रजिस्टरों में चढाने के आदेश हुये हैं।

18. उक्त निर्णय के आधार पर वादीगण का नाम दावी सम्पत्ति पर दर्ज होना बताया गया है। नकल खतौनी फसली वर्ष 1428–1433 कागज 110ग के अवलोकन से विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी के उक्त निर्णय के अनुपालन में वादीगण का नाम दावी समपत्ति में बतौर भूमिधर दर्ज हुआ है।

19. किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने असिस्टेंट कलक्टर, भटवाड़ी के उक्त निर्णय दिनांक 14.07.2020 के विरूद्ध अपील योजित करने का तर्क करते हुये उक्त निर्णय एवं आदेश के प्रभाव को आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा स्थगित रखे जाने का कथन किया है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 की प्रमाणित प्रति कागज 112ग दाखिल की गयी है। उक्त आदेश के अनुसार सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 के प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।

20. इस प्रकार इस स्तर पर वादीगण सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी घोषित नहीं हैं तथा सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14.07.2020 चुनौती के अधीन होने के कारण अन्तिम नहीं हुआ है। फलस्वरूप वादीगण का नाम खाता खतौनी में वादग्रस्त सम्पत्ति पर नामान्तरित होने पर भी प्रभावहीन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस स्तर पर यह माना जायेगा कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 ही दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर हैं।

21. विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद द्वारा किया गया है, जो विक्रयपत्र की सम्पत्ति का रिकार्डेड भूमिधर हैं उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है। वादीगण के हक वाले कथित दस्तावेज वर्ष 1947 या लिखत दिनांक 13.11.1993 दोनों अपंजीकृत दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेजों में कमशः मु0 400/– रूपये और मु0 3200/– रूपये कीमत विदित है। ऐसी परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार इसका पंजीकृत होना अनिवार्य है तभी यह विक्रयपत्र वैध माने जा सकते हैं।

22. वादीगण की ओर से एक तर्क यह भी है कि उनको उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रतिफल अदा कर देने व कब्जा प्राप्त लेने पर दस्तावेजों के पंजीकरण न होने की परिस्थितियों में भी उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम,ग 1882 के अधीन संरक्षण प्राप्त है।

23. किन्तु दस्तावेज 1947 या दिनांकित 13.11.1993 निर्धारित तरीके से अन्तरण के दस्तावेज नहीं हैं न ही इन पर खसरा नम्बर अंकित हैं। कागज 14ग/2 दिनांकित 13.11.1993 पर खेत नम्बर को रिक्त छोड़ा गया है तथा यह साबित नहीं किया गया है कि 'दारत्या तोक' पर प्रतिवादीगण 2 ता 4 के केवल दावी खेत ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भागिक अनुपालन का सिद्धान्त वादीगण के हक में स्पष्टतया आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय बसन्ती बनाम बेणुगोपाल(मृतक) द्वारा विधिक वारिसान (2017) 4 SCC 723 में प्रतिपादित किया है कि धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त करने के लिये अन्तरिती को यह साबित करना आवश्यक है कि वह अपना भागिक पालन करने के लिये सदैव इच्छुक एवं तत्पर रहा था और अन्तरणकर्ता द्वारा ही भागिक पालन नहीं किया गया। उक्त मामले में भी स्वामी अन्तरणकर्ता ने पूर्व अनुबन्ध को दरकिनार कर वही सम्पत्ति अन्य को विक्रय कर दी थी तथा द्वितीय अन्तरिती को यह कहा था कि पूर्व अन्तरिती उस सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबिज है। उक्त मामले की ही तरह प्रस्तुत मामले में वादीगण ने वादपत्र में कहीं भी यह उद्‌घाटित नहीं किया है कि वे और उनके पूर्वाधिकारी दस्तावेज वर्ष 1947 या दिनांकित 13.03.1993 के भागिक अनुपालन (कब्जा प्राप्त हो जाने और पूर्ण प्रतिफल अदा कर लिये जाने की परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत विक्रयपयत्र के पंजीकरण) के लिये इच्छुक व तत्पर रहे, किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 अथवा उनके पूर्वाधिकारी टालते रहे। सुविज्ञ है कि संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने के लिये परिसीमा भी निर्धारित है। किन्तु वादीगण ने वादपत्र में ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है कि उनके द्वारा उक्त संविदा का अनुपालन प्रतिवादीगण 2 ता 4 या उनके पूर्वाधिकारी से कराये जाने हेतु उनके द्वारा या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी थी। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि परिसीमा समाप्त हो जाने पर भी ऐसा अन्तरिती अपने कब्जे को संरक्षित रखने का अधिकारी है। किन्तु इस प्रकारण में वादीगण या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा न तो संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने हेतु कोई प्रयास दर्शित किये गये हैं न ही उनको सक्षम न्यायालय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व का अधिकारी घोषित किया गया है। प्रतिवादी–1 के हक में किया गया विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 वैध एवं पंजीकृत दस्तावेज है तथा वादीगण ने यह भी नहीं बताया है कि उनके कब्जे का संज्ञान उक्त विक्रयपत्र करने से पूर्व प्रतिवादी–1 को रहा था। ऐसी परिस्थिति में वादीगण उक्त कब्जे के आधार को तलवार की तरह प्रयोग करने के अधिकारी नहीं हैं तथा उनका यह कब्जा अतिचारी की कोटि में आता है। तदनुसार वाद बिन्दु–1 निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–2</u>

24. विवाद्यक संख्या–2 यह है कि क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रश्नगत विक्रयपत्र निष्पादित कर जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जिस पर तहसीलदार भटवाड़ी को मौके का सत्यापन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और तहसीलदार भटवाड़ी के आदेश पर राजस्व उपनिरीक्षक ने आख्या प्रस्तुत की। पत्रावली पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा की आख्या दिनांक 13.04.2015 की नकल 12ग है। जो भोलादत्त सेमवाल (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के प्रार्थना पत्र वास्ते मौका सत्यापन, तहसीलदार भटवाड़ी को प्रेषित की गयी है। इस आख्या में अंकित है कि खसरा संख्या 1435, 1436 व 1440 के भौतिक सत्यापन में आस–पास के खातेदार चकधर सेमवाल, मदरांचल

सेमवाल, मोहन लाल, रमेश चन्द आदि ने दिनांक 13.11.1993 से स्व0 भोलादत्त का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। आख्या में यह भी अंकित है कि उक्त खसरों पर सेब के फलदार पेड़ लगे है। खसरा संख्या 1440 भोला दत्त के नाम जबकि खसरा नम्बर 1435 व 1436 जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज है।

25. पूर्व वाद बिन्दु के निस्तारण में वादीगण के कब्जे की विस्तार से चर्चा करते हुये पाया गया है कि उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त न होने पर वे केवल अतिचारी हैं तथा वादग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादी–1 को विक्रय कर चुके है। ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया विधिक हस्तक्षेप मनमाना विदित नही होता है। इस कारण वाद बिन्दु–2 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–3</u>

26. विवाद्यक संख्या–3 यह है कि क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति, जो वादीगण के कब्जे में थी, बिना अधिकार प्रतिवादी–1 को विक्रय कर दी है। इसके पीछे वादीगण का तर्क है कि उनको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भौतिक स्वत्व के अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उनका कब्जा वर्ष 1947 से बदस्तर चला आ रहा था। किन्तु पूर्व चर्चा में यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रयपत्र निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु भागिक पालन के लिये कोई इच्छा अथवा तत्परता प्रदर्शित न करने के कारण उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का संरक्षण प्राप्त नहीं है न ही उनको सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी घोषित किया गया है। वादीगण के हक में सहायक कलक्टर, भटवाडी का निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 इस स्तर पर चुनौती के अधीन है और वैसे भी धारा 53ए अथवा धारा 54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का अनुपालन न होने पर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के होने के कारण प्रभावी होने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की जानकारी विद्वान न्यायालय के समक्ष रखी गयी होती तो विद्वान न्यायालय इस विक्रयपत्र के प्रभावों के बारे में भी अवश्य चर्चा कर आदेश पारित करते। तदनुसार वाद बिन्दु–3 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–4</u>

27. विवाद्यक संख्या–4 यह है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण ने वॉछित अनुतोषों हेतु वाद का मूल्यांकन कम कर अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। जबकि वादीगण का कहना है कि उनके द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

28. वादीगण ने यह वाद विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है। वादपत्र के पैरा 16 में वादीगण ने वाद का मूल्यांकन भूमि मु0. 83,000/– रूपये व सेब के बगीचों का बाजारी मूल्य मु0. 1,25,000/– रूपये कुल 2,08,000/– रूपये पर नियत कर वॉछित अनुतोषों हेतु कमश बयानामा निरस्ती हेतु प्रतिकर 3,39,57/– रूपये पर 3195/– रूपये न्यायशुल्क तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिकतमक मु0. 500/– रूपये न्यायशुल्क अदा किया है।

29. वादी ने भूमि व सेब के बगीचे का मूल्य मु0. 2,08,000/– रूपये वाद का मूल्यांकन कर बयनामा के प्रतिकर पर 33,957/– रूपये न्यायशुल्क अदा करना बताया है। न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(iv-A) के अनुसार विलेख निरस्ती के अनुतोष हेतु विषयवस्तु के बाजारी मूल्य पर न्यायशुल्क अदा करना होता है। विषयवस्तु का बाजारी मूल्य स्थावर सम्पत्ति की दशा में उपधारा (v), (v-A) तथा (v-B) जैसा

विषय हो, के अनुसार संगणित किया जाता है। प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर वादीगण ने सेब का बगीचा होना बताया है, ऐसी परिस्थिति में बाजारी मूल्य संगणना के लिये न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(v) (II) प्रासंगिक है। प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 कागज 9ग1 के अवलोकन से दावी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति (कुल 410 वर्गमीटर) की कीमत मु0. 42,189/– रूपये दर्शित है, जबकि दावी सम्पत्ति का इस विक्रयपत्र में केवल 330 वर्गमीटर रक्बा सम्मिलित है। ऐसी परिस्थिति में दावी सम्पत्ति की (विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के अनुसार केवल 330 वर्गमीटर) कीमत 33,957/– रूपये ही बैठती है। तदनुसार वादीगण ने उचित न्यायशुल्क अदा किया है, जबकि स्थायी व्यादेश हेतु अधिकतम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वाद बिन्दु–4 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण विवाद्यक संख्या–5

30. यह वाद बिन्दु अनुतोष के लिये है। वादीगण ने यह वाद प्रतिकूल कब्जे के अनुसार स्वयं को दावी सम्पत्ति का स्वामी हो जाने के आधार पर प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनधिकृत हस्तक्षेप को रोके जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया है। किन्तु उपरोक्त विवेचन में यह तय हुआ है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिचारी की हैसियत से काफी समय से काबिज काश्त हैं तथा उनके द्वारा संविदा के भागिक पालन करने हेतु इच्छा व सदा तत्परता प्रदर्शित नहीं करने के कारण दस्तावेज वर्ष 1947 व दिनांकित 13.11.1993 के आधार पर उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है नथा वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामी घोषित नहीं है। ऐसे में दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर द्वारा पश्चात्वर्ती केता प्रतिवादी–1 को, पूर्ववर्ती संव्यवहार की जानकारी के अभाव में, विक्रय करना अवैध न होने के कारण प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 निरस्ती योग्य नहीं है। तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति के कब्जे से जबरन बेदखल करने से विधि संरक्षण प्रदान करती है। तदनुसार वादीगण का वाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

31. वादीगण का वाद वास्ते निरस्ती विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 खारिज किया जाता है तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है।

32. वाद की परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष वाद व्यय वहन करेंगे।

33. तदनुसार डिकी तैयार की जाये।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम)
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम) 30/10
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

PHOTO STAT
TRUE COPY

PHOTO COPY
COMPARE B

2-500

HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

OS No 65 of 2017 Basanti Devi and others Vs Ex.Engg PWD and others Civil Judge (S.D.) Uttarkashi

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1 खाता संख्या : 00105

ग्राम का नाम : मुखवा परगना : (भटवाडी) तहसील : भटवाडी जनपद : उत्तरकाशी

1	2	3	4	5	6	7-12	13
	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान		भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
	श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकारमे हो						
	मुकेश / जयन्ती प्रसाद / मुखवा सुधान्सु / जयन्ती प्रसाद / मुखवा राजेश्वरी देवी / जयन्ती प्रसाद / मुखवा किशन सिह / जोत सिह सहखातेदार 1 / मुखवा		1386फस्ल	220 671 932 949 981 1029 1031 1087 1092 1148 1223 1225 1258 1366	0.0260 0.0650 0.0400 0.0030 0.0230 0.0210 0.0450 0.0230 0.0540 0.0300 0.0130 0.0180 0.0230 0.0280	टिप्पणी-1ख0न03906/0.019,3907/0.031 कुल 0.050 है0 भूमि विक्रेता जयन्तिप्रसाद पु0 महेशानन्द के अंश से किशनसिंह पु0 जोत सिह सा0 मुखवा के नाम मु0आ0न्या0अति0कलेक्टर भटवाडी के आदेश वाद संख्या 46/2014-15 दि0 14.07.2020 अर्न्तगत धारा 229 (बी) ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्य0अधि0 1950 के अनुसार ख0सं0 1435/0.034, 1436/0.015, कुल रकबा 0.049है0 भूमि प्रतिवादीगण मुकेश, सुधांशु पुत्रगण जयन्ती प्रसाद, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी जयन्ती प्रसाद के नाम से पृथक कर वादीगण श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी भोलादत्त व उमारमण, रमारमण, वैकटरमण पुत्रगण भोलादत्त के नाम बतौर भूमिधर मे दर्ज किया, ह0/र0का0भ0 दि0 23.09.2020	मु0ब0वि0 पं0नै0बैक हर्षिल दि 13.01.17 के अनुसार खातेदार किशन सिह पु0 जोत सिह ने अपने अंश की भूमि को मु0 3.00 रू0 कृषि ऋण मे बैक के नाम बन्धक रखा है उक्त भूमि पर बैक का प्रभार अंकित किया, ह0/स0र0का0भ0

[illegible]
Data Updated Upto [illegible] 12 44 [illegible]
Technical support by [illegible] Uttarakhand State [illegible] Dehradun
Content [illegible] Board of Revenue(Uttarakhand)

Digital India
Power to Empower

Annexure – 07 : The Reminder Letter Filled to SP Uttarkashi, (03/02/2025)

स्मरण पत्र

सेवा में,

माननीय **पुलिस अधीक्षक महोदय,**

जनपद **उत्तरकाशी, उत्तराखंड।**

दिनांक: 03/02/2025

विषय: दि०. 27/01/2025 को दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) की विधिक प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा **दिनांक: 27/01/2025** को **अज्ञात अपराधियों** के विरुद्ध आपके कार्यालय में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई थी, जो कि **ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी** में **प्रार्थीगण के फलदार सेब के बगीचे और भूमि को अवैध रूप से नष्ट करने** से संबंधित थी। किन्तु, **आज की तिथि तक FIR की विधिक प्रक्रिया की प्रगति एवं जांच की स्थिति से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।**

- **प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी यह है:**

  1. कि **दि०.** 25/01/2025 को ग्राम मुखवा के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई, जिसमें एक J.C.B द्वाराप्रर्थिगण के सेब के बगीचे और भूमि को नष्ट किया जा रहा था।
  2. कि **दि०.** 27/01/2025 को अज्ञात व्यक्तियों, सरकारी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, JCB चालक एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों/ग्रामवासियों के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई।
  3. कि प्रार्थीगण अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, **क्योंकि जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन समाप्त कर दिया गया हैं।**
  4. कि आज तक FIR की कोई जांच रिपोर्ट, अपराधियों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई, या आगे की प्रक्रिया की कोई जानकारी प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई है।

- **प्रार्थीगण अब तक ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी नहीं जा सके हैं, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:**

  1. **प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ:** शीतकाल में कड़ाके की ठंड एवं मुखवा-हर्षिल क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यात्रा करना कठिन है।
  2. **मानसिक एवं भावनात्मक आघात:** फलदार सेब के बगीचे के नष्ट होने से परिवार अत्यंत मानसिक तनाव और दुख में है, जिससे दुर्घटना स्थल पर जाने की स्थिति में नहीं हैं।

03/02/2025

क्रमशः 01

3. **स्वास्थ्य संबंधी खतरा**: पारिवारिक सदस्यों, बच्चों, प्रोढजनो एवं वृद्धजनों की मानसिक स्थिति **फलदार सेब के बगीचे के कटने व नष्ट-भ्रष्ट होने से**, अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिससे हृदयाघात (हार्ट अटैक) जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका बनी हुई है।

4. **भविष्य की योजना**: मानसिक एवं आत्मविश्वासिक स्थिति सामान्य होने के उपरांत, प्रार्थीगण दुर्घटनास्थल पर जाकर क्षति का अवलोकन करेंगे।

- **अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है**:
  - कि FIR की जांच की अद्यतन स्थिति (Current Status) से प्रार्थीगण को अवगत कराया जाए।
  - कि जांच प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
  - कि विधिक प्रक्रिया को गति प्रदान कर, पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने का कष्ट करें।
  - कि प्रकरण से जुड़े अज्ञात विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, JCB चालक एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों व अज्ञात ग्रामवासियों की भूमिका की गहन जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए।

अतः विधिक प्रक्रिया में देरी से अपराधियों को लाभ मिलेगा एवं पीड़ित पक्ष को न्याय से वंचित होना पड़ेगा।
अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि **इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने का कष्ट करें।**

बसन्ती

प्रार्थीगण
श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व० भोला दत्त सेमवाल
अल्पना देवी पत्नी स्व० वेंकट रमन
उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व० भोला दत्त सेमवाल
हाल निवासी: गंगोरी (वार्ड न०. 01, नगर पालिका बड़ाहाट),
तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी ।
संपर्क नंबर: 7668447514, 9410753408

दि०.: 03/02/2025

Annexure – 08 : RTI filled to DM Uttarkashi (30/01/2025)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

सेवा में,

माननीय जिला अधिकारी महोदय,

जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखंड।

विषय: ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी में सेब के बगीचे को JCB से नष्ट करने के संबंध **में सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

दिनांक: 25/01/2025 को प्रार्थिनी एवं उसके परिवारजनों ने **ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी** के अपने ग्रामसभा मुखवा के **व्हाट्सएप ग्रुप** में एक वीडियो क्लिप देखी, जिसमें प्रार्थिनी एवं उसके परिवारजनों की पुश्तैनी भूमि और फलदार **सेब के बगीचे को JCB द्वारा नष्ट किया जा रहा था।** प्रार्थिनी इस कृत्य से अत्यधिक आहत है, और इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी **सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005 के तहत प्राप्त करना चाहती है:

1. **यह की JCB/मशीनों द्वारा सेब के बगीचे और भूमि को काटने का आदेश किस विभाग ने दिया?**
   - कृपया स्पष्ट रूप से वह **विभाग (राज्य/केंद्र सरकार के अंतर्गत)** का नाम, **संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, एवं डिवीजन** का सत्यापन सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए।
2. **यह कि अगर यह कार्य किसी सरकारी विभाग द्वारा नहीं किया गया, तो:**
   - इस अवैध गतिविधि की सूचना **हरसिल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सेना, और अन्य सरकारी संस्थाओं** को थी या नहीं?
   - यह कि जब **ग्राम मुखवा के 80% निवासी शीतकाल प्रवास पर उत्तरकाशी के आसपास के कस्बो व गांव में निवास कर रहे होते हैं**, तो **'इनर लाइन क्षेत्र'** में अज्ञात व्यक्तियों का प्रवेश किन कारणों से हुआ?
3. **यह कि क्या यह इलाका "Eco-Sensitive Zone" में आता है या नहीं ?**
   - अगर हाँ, तो **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल** (NGT) से **हरे पेड़ काटने एवं सड़क चौड़ीकरण** हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं? कृपया प्रमाण सहित सूचना दें।
   - यदि अनुमति ली गई थी, तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
4. यह कि नष्ट किए गए फलदार सेब के बगीचों को "**भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013**" की **धारा 4 और धारा 24** के प्रावधानों के तहत वैध प्रक्रिया अपनाकर हटाया गया था या नहीं? यदि हाँ, तो संबंधित दस्तावेज और स्वीकृति आदेश उपलब्ध कराए जाएं।

30/01/25

5. **संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन:**

- यह कि मुखवा गांव और अन्य **5000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बसे ग्रामीणों की जीविका का मुख्य साधन सेब के बगीचे हैं।**

  तो महोदय आप यह स्पष्ट करें की इस प्रकार **संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) एवं अनुच्छेद 19(1)(g) (कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है)** का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है या नहीं ।
- यह कि उक्त विभाग ने **भू-संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया है या नहीं?** यदि हाँ, तो इसके लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है?

6. **बिना विधिक प्रक्रिया के फलदार वृक्ष काटना अपराध है या नहीं?**

- यह कि बिना विधिक अधिसूचना और किसान/काश्तकार को सूचना दिए **फलदार वृक्षों को काटना "भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 427 (संपत्ति को क्षति पहुंचाना) एवं धारा** 441/447 **(अवैध अतिक्रमण)** के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं?

<u>नोट:</u>

प्रार्थिनी **आपसे अनुरोध करती है कि सत्य एवं स्पष्ट तथ्यों सहित प्रमाणित जानकारी हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रदान करें।** साथ ही, **अपील अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, एवं मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया जाए।**

सादर,

प्रार्थिनी:

अल्पना देवी

पत्नी स्वर्गीय वेंकट रमन सेमवाल

पता: ग्राम मुखवा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी,

जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखंड।

हालनिवास: नगर पालिका परिषद, वार्ड नंबर 1, गंगानगर,

गंगोरी, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी (249193)।

संपर्क सूत्र: 9410753408, 7668241905.

तिथि: 30/01/2025

Annexure – 09 : Response of Filled RTI by DM Uttarkashi

<u>प्रारूप–7</u>

<u>पंजीकृत।</u>

<u>(सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र)</u>

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या–73 /31–सू0का0अधि0/2024 दिनांक 01 फरवरी, 2025

1–लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय, तहसीलदार भटवाड़ी,
<u>जनपद उत्तरकाशी।</u>

2–लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय, मुख्य उद्यान अधिकारी,
<u>जनपद उत्तरकाशी।</u>

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्रीमती अल्पना देवी पत्नी स्व0 श्री वेंकट रमन सेमवाल, निवासी ग्राम मुखवा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी हाल निवास नगर पालिका परिषद, वार्ड नम्बर 1, गंगानगर, गंगोरी बाडाहाट, जनपद उत्तरकाशी के संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 30.01.2025 जो इस कार्यालय/अनुभाग में डाक के माध्यम से दिनांक 01.02.2025 को प्राप्त हुआ हैं की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है, कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग/उपक्रम/उप खण्ड से सम्बन्धित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

(आदित्य प्रसाद भटट)
लोक सूचना अधिकारी,
जिला कार्यालय,
उत्तरकाशी।

<u>पंजीकृत।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :– श्रीमती अल्पना देवी पत्नी स्व0 श्री वेंकट रमन सेमवाल, निवासी ग्राम मुखवा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी हालनिवास नगर पालिका परिषद, वार्ड नम्बर 1, गंगानगर, गंगोरी बाडाहाट, जनपद उत्तरकाशी मो0नं0–9410753408, 7668241905 को इस आशय से प्रेषित है, कि आपका सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 30.01.2025 लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय, तहसीलदार भटवाड़ी एवं लोक सूचना अधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को अन्तरित किये जाने के कारण उक्त वांछित सूचना हेतु उपरोक्त लोक सूचना अधिकारियों से पत्राचार करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी,
जिला कार्यालय,
उत्तरकाशी।

Picture of orchard before destruction (2014-2022)

Photo of Apples on the Orchard

Photo of Fully green Apple orchard (2014)

Greenry of the Orchard (2021)
2021.06.06 17:50

Farmer family working in the orchard (2021)

2021.06.06 17:49

2021.06.06 17:40

Photos Of Apple Orchard (incident site) after destruction (2025)
Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Victim crying in the front of Executive Engineer with their family

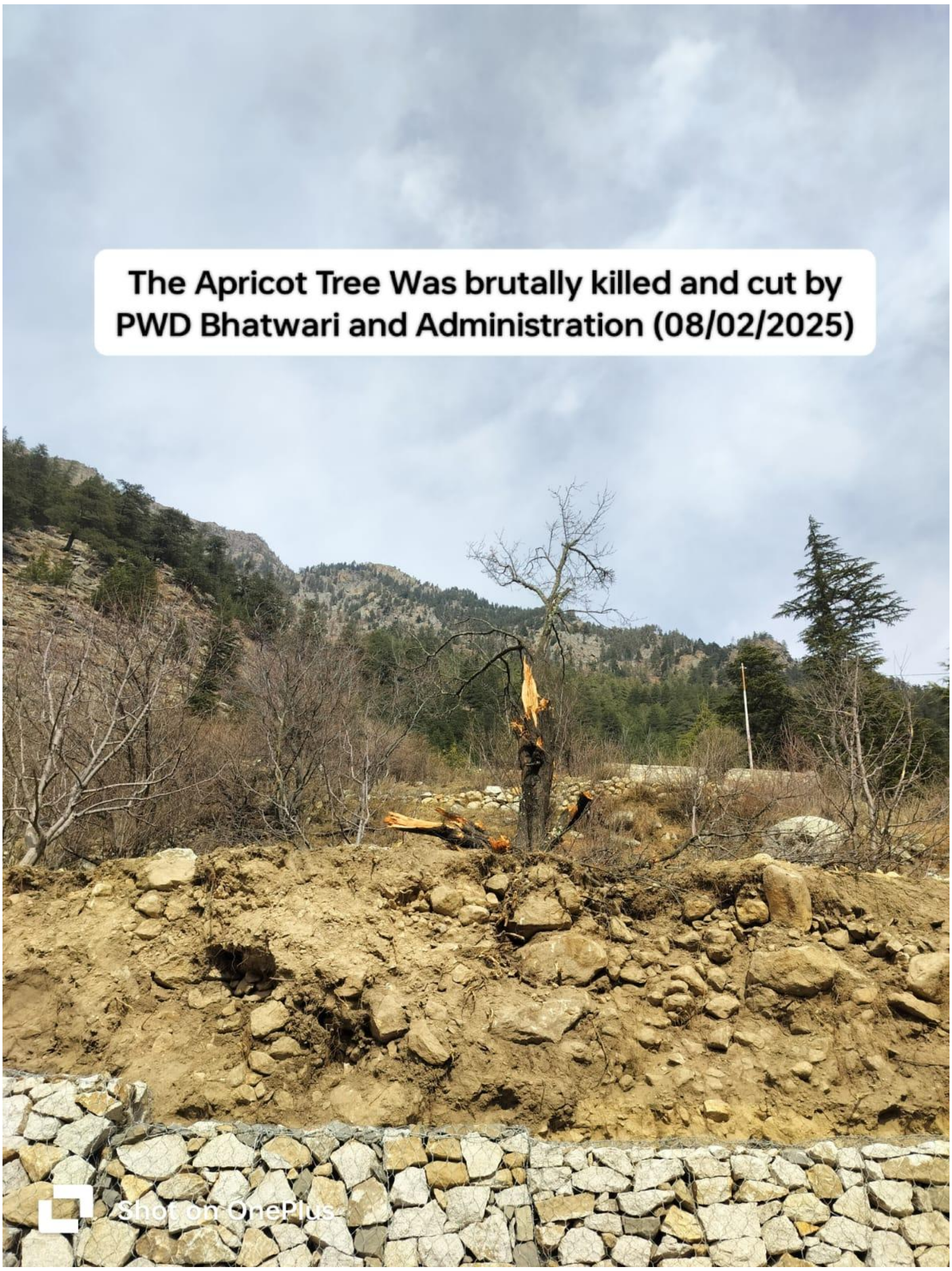
The Apricot Tree Was brutally killed and cut by
PWD Bhatwari and Administration (08/02/2025)
Shot on OnePlus

The Apricot Tree which
is brutally Killed
Shot on OnePlus

BEFORE / AFTER

The Reserved and Protected Himalayan Cedar tree
(Deodaar Tree) brutally cut by Respondents (08/02/2025)
Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

APPLICATION TO THE REGISTRAR, NATIONAL GREEN TRIBUNAL

SUBJECT: Submission of Application Stating Petitioners Appearing as Party-in-Person

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Applicants/Petitioners have filed an Original Application before the **Hon'ble National Green Tribunal (NGT)** on **10/02/2025** regarding the illegal destruction of their fruit-bearing trees and environmental damage caused in an eco-sensitive zone by the Respondents.
2. That the Applicants/Petitioners are appearing as **Party-in-Person** in the present case and have not appointed any legal counsel or advocate to represent them in these proceedings.
3. That **the Applicants/Petitioners are common citizens and do not possess formal legal expertise**. Therefore, if any procedural or factual error has been made in the filing of the case, they humbly seek pardon from the Hon'ble Tribunal and request necessary guidance for compliance with the legal framework.
4. That the Applicants/Petitioners earnestly request the Hon'ble Tribunal to **accept their case and grant them justice**, as the destruction of their orchard and environmental violations have caused them immense loss, violating their fundamental rights and environmental laws.
5. That the Applicants/Petitioners also request the Hon'ble Registrar to kindly consider this application and allow them to continue their case as **Party-in-Person**, granting any necessary procedural relaxations as deemed fit.

PRAYER:

In light of the above, the Applicants/Petitioners most humbly pray before the Hon’ble Registrar for the following reliefs:

- Accept this application and recognize the Applicants as **Party-in-Person** in the ongoing case.
- Kindly allow the Applicants to pursue the case without a legal representative and provide.
- If any inadvertent error exists in the filed petition, grant permission for necessary corrections and compliance as per the Hon’ble Tribunal’s discretion.
- Pass any other order that the Hon’ble Tribunal may deem just and proper in the interest of justice and environmental protection.

PLACE: Uttarkashi, Uttarakhand

APPLICANTS/PETITIONERS:
Basanti Devi w/o Bhola Dutt Semwal
Uma Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal
Rama Raman Semwal s/o Bhola Dutt Semwal
Alpna Devi w/o Late Benkat Raman Semwal

ADDRESS: Ward No. 01, Nagarpalika Parishad, Gangori, Bharahat,

Uttarkashi, Uttarakhand (Bharat)
MOBILE: 8171748565, 7668241905.

Signatures:

Basanti Devi	Uma Raman Semwal	Rama Raman Semwal	Alpna Devi

(Applicants - Party-in-Person)